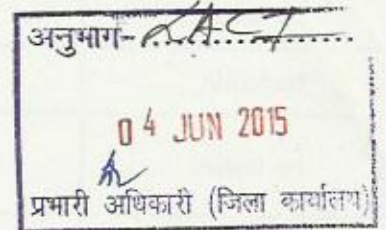


उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग



उत्तराखण्ड भासन

जनपद - चमोली

वृत्त का नाम:- 7 वां वृत्त, लो०नि०वि०, गोपेश्वर

खण्ड का नाम :- प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, गोपेश्वर

कार्य का नाम:- चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वनभूमि का क्षेत्रफल :- 3.92 हेक्टेयर (सिविल वनभूमि)
:- 0.168 हेक्टेयर (मक डिस्पोजल)
4.088 हेक्टेयर

CHECK LIST

Sl. No.	Name of the Document	Page No.	Remark
1	2	3	4
1- Main Attachments			
1.1	Documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency.		Attached
1.2	Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted.		Attached
1.3	Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS.		Attached
1.4	Google Map of the proposed site showing legal status of the proposed land and alternative examined for the project with legend.		Attached
1.5	Note containing justification for locating the Project in forest land.		Attached
1.6	Certificate by DM- Forest Right Act-2006		Attached
1.7	Survey of India Toposheet in 1:50,000 scale indicating location of the land identified for creation of Compensatory Afforestation		Attached
1.8	Colored copy of the google map showing the land identified for CA.		Attached
1.9	If non-forest or Revenue forest land is required to be provided by User Agency? A Copy of ownership proof and No Objection Certificate		Attached
1.10	Mou/agreement executed between the Present owner and the User Agency.		Attached
1.11	Cost benefit analyses (in more than 5.0 ha. Land diversion cases)		Not Required, as the Land Diversion is less than 5.0 HA
1- Additional Documents			
2.1	A short narrative and importance of the project.		Attached
2.2	Administrative and Financial sanction.		Attached
2.3	Preliminary Joint Inspection report.		Attached
2.4	Comparative chart showing statement of both alignment of the proposed project.		Attached
2.5	Certificate from the DM that no alternative suitable non-forest land is available for the project in question and the demand of the forest land for the project is barest minimum.		Attached
2.6	Land schedule		Attached
2.7	Category wise land length, width and area		Attached
2.8	Bar Chart with index		Attached
2.9	Compensatory afforestation scheme in Civil and Soyam land		Attached
2.10	Certificate regarding suitability of identified land for Compensatory Afforestation		Attached
2.11	Undertaking by the User Agency to bear the cost of compensatory afforestation		Attached
2.12	Road side plantation estimate		Attached

CHECK LIST

Sl. No.	Name of the Document	Page No.	Remark
1	2	3	4
2.13	Undertaking by the User Agency to bear the cost of Road side /gap filling plantation		Attached
2.14	Estimate of 100 trees plantation (less then 1.0 ha. cases)		Not Required
2.15	Details of the trees with their scientific name		Attached
2.16	Felling of Oak trees (if involves, inspection report of the concerning CF has to be provided)		Attached
2.17	Certificate from DFO If felling of trees is not involved		Not Required
2.18	Certificate of felling minimum trees during the project work		Attached
2.19	Muck disposal scheme		Attached
2.20	Status of the project area is a part of National Park or sanctuary and arial distance of the project from National Park or sanctuary		Attached
2.21	If the project area is within 10 Km radius of National Park or Centuary No objection certificate of CCF Wild Life		Not Required
2.22	If the Project falling within the National park or Sanctuary, needs recommendation of State Wild Life Board, National Board of Wild Life (NBWL) and permission of Hon'ble Supreme Court/MoEF Gol.		Not Required
2.23	No voilation has taken place, FC Act. 1980 reg		Attached
2.24	NOC from local Gram Sabhas		Attached
2.25	Approved general lay out plan/alignment and estimate from competent authority with name and designation.		Not Required
2.26	Component wise details of construction work.		Not Required
2.27	Certificate- work has not been started reg.		Attached
2.28	Geologist Report		Attached
2.29	Task Force report		Attached
2.30	Item wise details of work		
2.31	Certificate by user agency for complying the condition imposed in Standard Condition		Attached
2.32	Certificate by user agency for complying the condition imposed in geologist report/Task force recommendation in hill areas		Attached
2.33	No historical/monumental or relegeous place will be effected.		Attached
2.34	Undertakoing regarding no animal will be effected adversely by the project		Attached
2.35	Undertading to provide alternative fuelwood, kerosene or LPG to labours involved in project		Attached
2.36	Benefited villages/Families/Population Certificate		Attached
2.37	NPV calculation certificate as per Hon'ble Supreem court /MoEF orders		Attached
2.38	Undertaking of payment of NPV, if Hon'ble Supreem Court increses the rates of NPV		Attached
2.39	Cost of the forest land and lease rent certificate		Not Required
2.40	Certificate of Lease period		Not Required

CHECK LIST

Sl. No.	Name of the Document	Page No.	Remark
1	2	3	4
2.41	Demarcation of land to be diverted		Attached
2.42	Undertaking of user agency to bear the cost for demarcation work		Attached
2.43	Non-availability of non-forest land for compensatory afforestation certificate.		Not Required
2.44	Fact sheet . /Other imp details		Attached


 Assistant Engineer
 Provincial Division, PWD
 Gopeshwar


 Executive Engineer
 Provincial Division, PWD
 Gopeshwar

To Whome it May Concern to

It is state that Mr. Neeraj Agarwal, Assistant Engineer, Provincial Division, P.W.D, Gopeshwar is being authorized to make online submission of Forest Clearance Proposal for the Project as mentioned above on behalf of Provincial Division, P.W.D, Gopeshwar user agent.

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

परिशिष्ट (देखिये नियम 6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा 2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग - 1

(प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिये)

1- परियोजना विवरण :-

(1) अपेक्षित वन भूमि के लिये प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण

घमोली-पलेटी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

(2) 1:50000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों

मानचित्र संलग्न है।

(3) परियोजना की लागत

₹ 3.94 लाख

(4) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य

उक्त मोटर मार्ग निर्माण से पर्वतीय दूरस्थ गोलिम, रोप, चलथर, सेमडुंग्रा को आवागमन की सुविधा एवं रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। विस्तृत विवरण संलग्न है।

(5) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिये)

(6) रोजगार जिनके पैदा होने की सम्भावना है

स्थानीय जनता को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

2- कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्य विवरण

3.92 हे० वन भूमि उक्त निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करना।

3- परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण यदि कोई है -

(1) परिवारों की संख्या

लागू नहीं है।

(2) अनुसूचित जाति/जन जाति के परिवारों की संख्या

(3) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिये)

4- क्या पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है - (हां/नहीं)

नहीं (मार्ग कच्चा है)

5- प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-2 राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत ओर सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाय)

संलग्न है।

6- निर्देशों के अनुसार अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा -

विषय सूची के अनुसार।

तिथि - 18.5.15

स्थान - गोपेश्वर

(आदर्श गोपाल सिंह)
अधिशाली अभियन्ता
प्रां.खं. लो.नि.वि.,
गोपेश्वर

प्रस्ताव की क्रम संख्या :-

(प्राप्त करने की तारीख नोडल अधिकारी द्वारा भरी जानी है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या -

(प्राप्ति की तिथि के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

भाग - 2

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या -

7- परियोजना/स्कीम का स्थान -

(1) राज्य/संघ शासित क्षेत्र

(2) जिला

(3) वन प्रभाग

(4) वनेत्तर भूमि प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे०)

(5) वन की कानूनी स्थिति

(6) हरियाली घनत्व

(7) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि/श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाय)। सिंचाई जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल. - 2 मी० पर परिगणना और एफ.आर.एल. - 4 मी० भी संलग्न किये जाय

(8) (1) भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी

(2) वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल (हे० में)

(9) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है (यदि हां क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबन्धित की जाय)

(10) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणीजात की दुर्लभ/संकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है। यदि हो/तो तत्सम्बन्धित ब्यौरा दें।

(11) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्ववीय/पौरम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्सम्बन्धित ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।

8- प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।**9-** क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।**10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा -**

(1) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आसपास के वन से इसकी दूरी भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार

(2) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आसपास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप

(3) रोपित की जाने वाली प्रजातियों प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन, ऐजेन्सी, समय, अनुसूची, लागत, ढांचा आदि

रोपा चलथर

उत्तराखण्ड

चमोली

बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

सिविल/वन पंचायत वन भूमि

0.8

सूची संलग्न है।

भूवैज्ञानिक की रिपोर्ट संलग्न है

नहीं

नहीं

नहीं

हां अपरिहार्य एवं न्यूनतम है

नहीं

नहीं

प्रांकलन संलग्न

मानचित्र पर उल्लिखित है

संलग्न है

संलग्न है

(4) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तिय परिव्यय

संलग्न है

(5) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उपवन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय)

संलग्न है

11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7, 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये संलग्न करें।

संलग्न है

12- विभाग/जिलाप्रोफाइल :-

(1) जिला का भौगोलिक क्षेत्र -

803000 हे०

(2) जिले का वन क्षेत्र -

514792 हे०

(3) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र

2142120

(4) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण

(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि

(ख) वनेत्तर भूमि पर

(5) तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति

(क) वन भूमि पर

766.26 हे०

(ख) वनेत्तर भूमि पर

13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव के अन्यथा लेने के सम्बन्ध उपवन संरक्षक की विशेष सिफारिश

वनभूमि हस्तान्तरण की संस्तुति की जाती है

तिथि -

स्थान - गोपेश्वर

हस्ताक्षर
प्रभाती अधिकारी
(नाम)
गोपेश्वर, संरक्षक वन

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14- स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है, क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग "ख" में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

तिथि -

स्थान -

हस्ताक्षर

(नाम)

सरकारी मोहर

भाग - 4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

17- टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव के स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें)

(राय देते समय सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक अथवा एप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

तिथि -

स्थान -

हस्ताक्षर

(नाम)

सरकारी मोहर

भाग - 5

(इसे वन विभाग प्रभारी, सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाता है)

18- राज्य सरकार की सिफारिश

(उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाय)

तिथि -

स्थान -

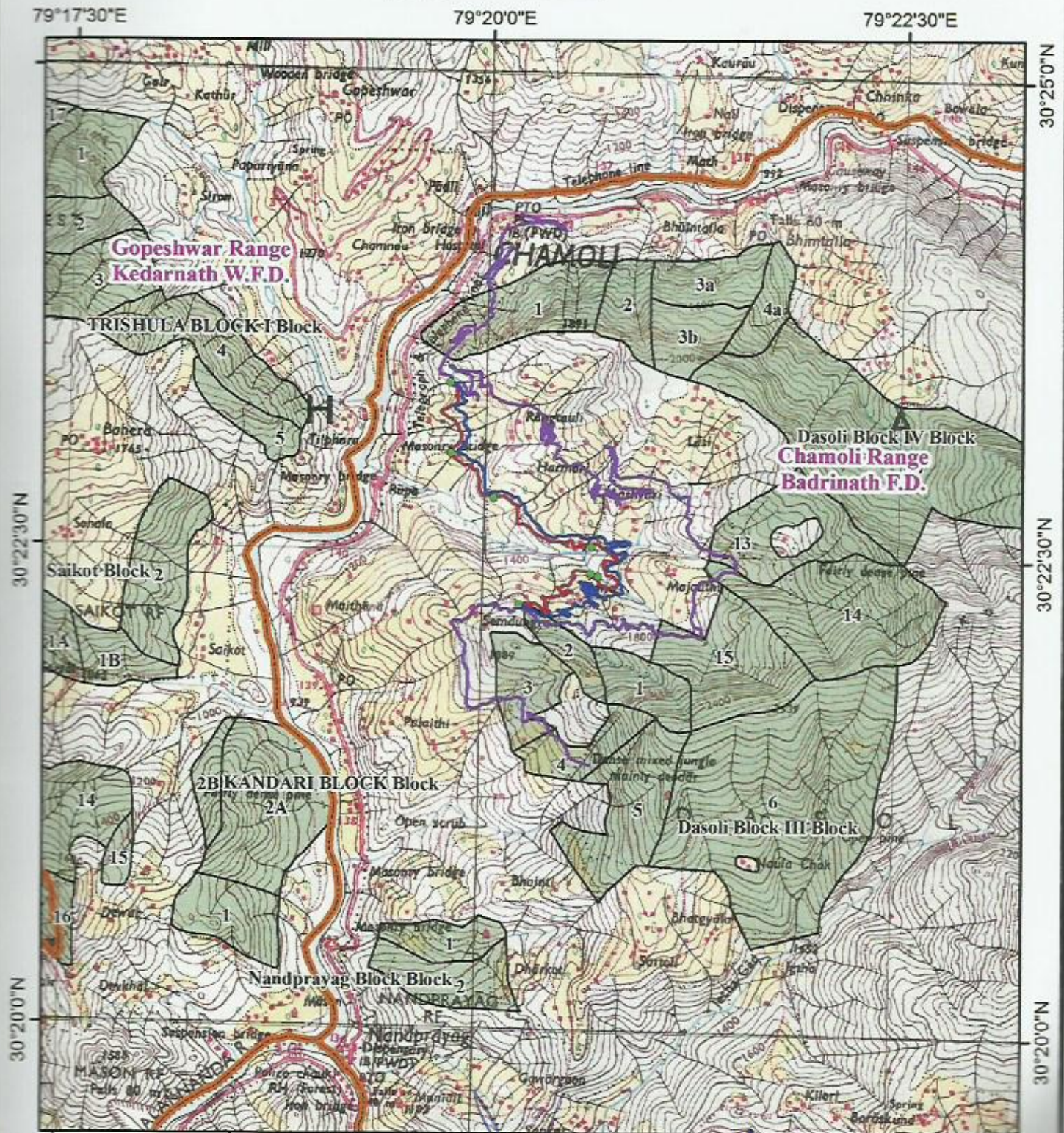
हस्ताक्षर

(नाम)

सरकारी मोहर

डिजिटल मैप :- जनपद चमोली के अर्न्तगत चमोली -पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल रोपा होते हुए अनसूचित जाति ग्राम चल्थर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (लम्बाई 8.00 कि०मी०)

0 0.5 1 1.5 2 Km



79°17'30"E
Legend

- | | |
|--|---|
| — Proposed Road | Reserve Forest Area |
| — Alternate Road | Reserve Forest Boundary |
| — Existing Road | Forest Division Boundary |
| Dumping Zone | |

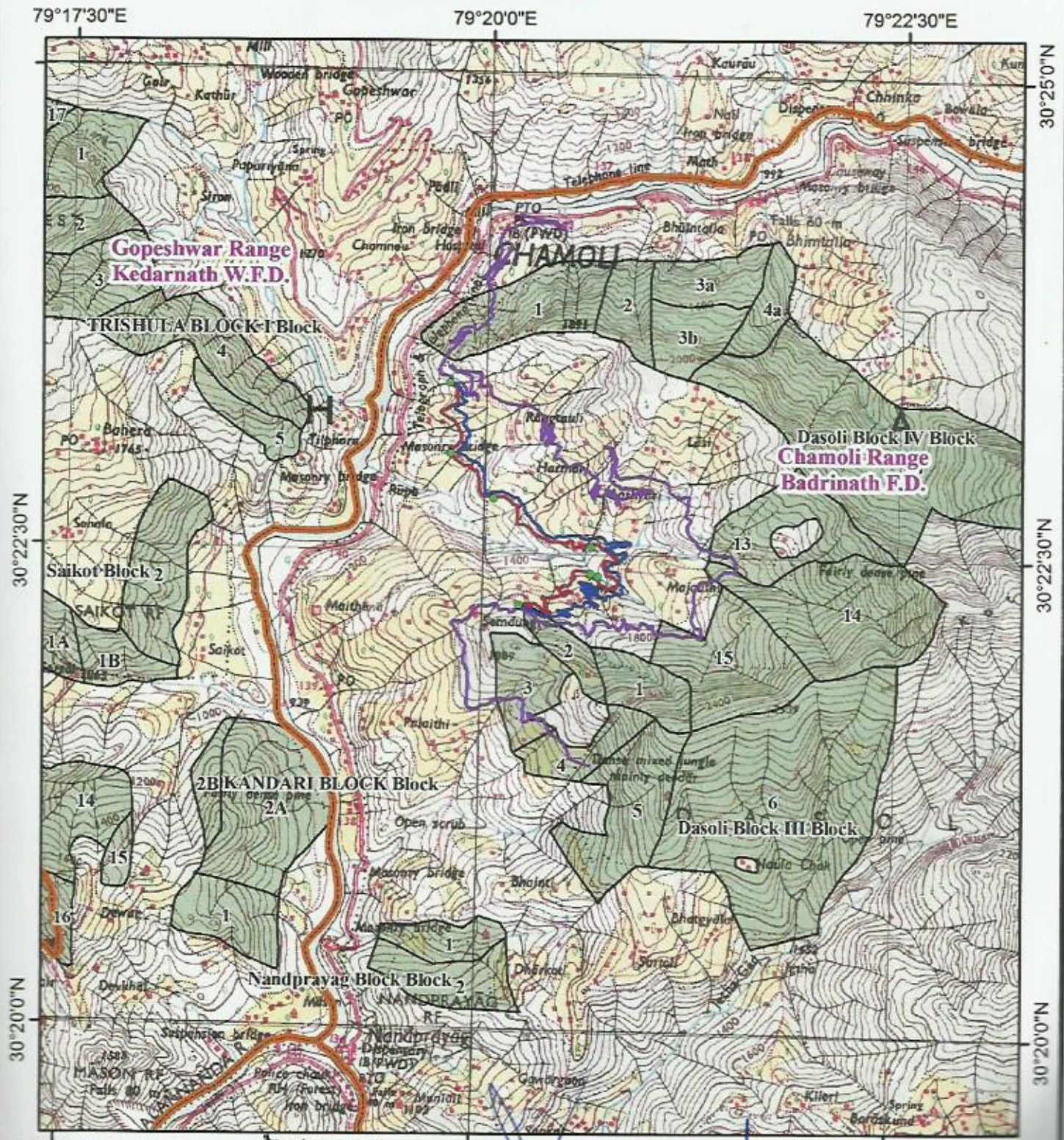
प्रभागीय उपाधिकारी
ब्रह्मनाथ चन प्रभाय
सिकोटी (चमोली)

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
नगरधर

जिलाधिकारी
चमोली

डिजिटल मैप :- जनपद चमोली के अर्न्तगत चमोली -पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल रोपा होते हुए अनसूचित जाति ग्राम चल्थर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (लम्बाई 8.00 कि०मी०)

0 0.5 1 1.5 2 Km

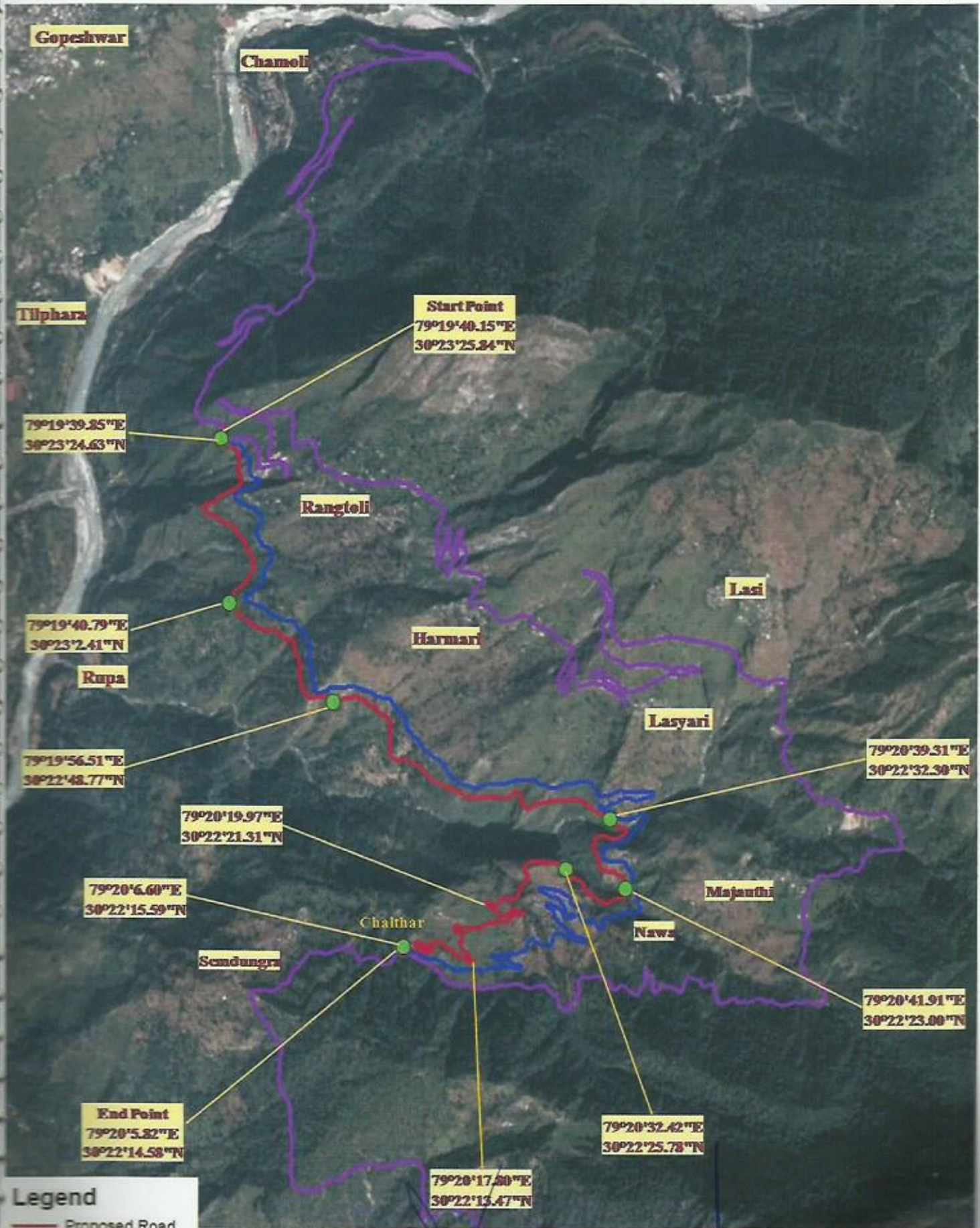


Legend

- Proposed Road
- Alternate Road
- Existing Road
- Dumping Zone
- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Forest Division Boundary

प्रान्तीय योजनाधिकारी
बदनाथ बन प्रभाग
(कोशी/कोशी)
अधिसूचना अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर
जिलाधिकारी
चमोली

डिजिटल मैप :- जनपद चमोली के अर्न्तगत चमोली –पलेढी– सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल रोपा होते हुए अनसूचित जाति ग्राम चल्थर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (लम्बाई 8.00 कि०मी०)



10/10/2020
0.5
AE

अभिषेक/अभिवन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर
जिला/प्रान्तिय/राज्य
चमोली

Justification

Name of The Project :-

Construction of motor road from Chamoli-Palethi-Sartoli motor road at place Sikoti Tok to Village Golim Pol- Roopa and SC village Chalthar. Under State Sector.
Length- 7.80 Km

Necessity of the Project and Justification for locating the Project in Forest Area

Presently the villagers of the village Golim, Roopa, Chalthar, SamDungra etc. have to walk through a distance of 4.00 Km to meet their daily needs as there is no road connecting the village. Due to the non-existent of any road connectivity the lives of the villagers are in constant danger as there are no medical services which could be provided to them even in cases of emergency such as maternity.

Further, due to non-existent of the road connectivity the area remains backward in all respects. The main occupation of the villagers residing in this village is animal husbandry and agriculture.

The villagers are forced to carry their cultivated crops such as Mirch, Lehsoon, Dhan, Ghehun, Aloo, Green Vegetable, Onion etc. on their feet or by mules to the nearby market.

Due to the construction of road following benefits are provided to local People & Government too.

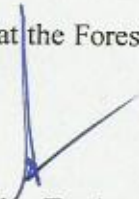
- 1- Enhance the social and economical development of this area.
- 2- Migration of people from the village shall be minimized.
- 3- Due to easily accessibility forest can be protected from fire during summer season to save Vegetation Plants & animals.
- 4- The Village People will travel large distance for their Jobs.
- 5- Local people will find jobs near their village.
- 6- More women will get employment & will improve their economic situation.
- 7- Educational development in this area.
- 8- Hospital and medical facilities.

The forest land area falling in the proposed alignment of the road which is 3.92 Hectare has been surveyed to the minimum and also the alignment of the road has been proposed in such a manner that there shall be a minimum of tree felling. Other than the proposed alignment for the road, there is no such alignment which shall reduce the diversion of forest area or felling of the trees. The overall width proposed for acquiring of the land is 7.00m and the construction of the road shall be carried out in a width of 6.00 in straight reaches. The Geological Investigation along the proposed alignment has been carried out which also states that the proposed alignment of the road is safe for construction. There are no graveyards, religious, historical/monumental or legendary places falling in the proposed alignment of the road.

In view of the above facts and in public interest, it is requested that the Forest land area of 3.92 Hectare may kindly be diverted for the construction of the road.



Assistant Engineer
Provincial Division PWD
Gopeshwar



Executive Engineer
Provincial Division PWD
Gopeshwar

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT CHAMOLI (U.K.)

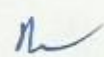
Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli District, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of District Magistrate. Chamoli on dated 30.5.2015 at time 14:00 hrs at Chamoli in which application claiming rights in Chamoli area measuring 4.235 hect for the construction of Construction of Golim-Pool-Ropa to S.C. village Chalthar at the place Sikoti tok on Chamoli-Palthe-Sartoli motor road, Under State Sector at Dasoli Block in District- Chamoli. 8.00 Km forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Chamoli sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place - C. Peshwar

Dated: 30.5.2015


District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committee Chamoli
जिलाधिकारी
चमोली

Government of Uttarakhand
Office of the District Magistrate : Chamoli

No. :-

Dated :- 30.5.2015

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MOEF), Government of India's letter No-11-9/98-EC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and other Traditional Forest Dwellers (Reorganization of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 4.235 Hect of forest land proposed to be diverted in favor of PWD Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Golim-Pool-Ropa to S.C. village Chalthar at the place Sikoti tok on Chamoli-Palthe-Sartoli motor road, Under State Sector at Dasoli Block in District- Chamoli. 8.00 Km Under PWD Gopeshwar (purpose for diversion of forest land) in Chamoli District falls within jurisdiction of Chamoli Tehsils.

It is further Certified that :

SN		Remark
(A)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.235 Hect of civil area proposed for diversion. A copy of records of all constructions and meetings of the forest right committee(s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to - annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(B)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. There is no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.
(C)	The proposed does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.


 Signature
 (District Magistrate Chamoli)

जिलाधिकारी
चमोली

प्रपत्र 232

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली, विकासखण्ड दशोली में राज्य योजना के अन्तर्गत चमोली-पलेठी-सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक स्थान तक से ग्राम गोलिम-पोल-रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी चमोली
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति चमोली

जनपद चमोली, विकासखण्ड दशोली में राज्य योजना के अन्तर्गत चमोली-पलेठी-सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक स्थान तक से ग्राम गोलिम-पोल-रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.235 हे. सिविल वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जान हेतु अनुसूचित जनजाति अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपरोक्त खण्ड स्तरीय समिति तहसील चमोली की दि. 21.5.15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्डीय वनाधिकार समिति की बैठक उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में मा. सदस्यों की उपस्थिति में निम्नानुसार है:-

- | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------|
| 1- श्री. <u>अकशेष्ट कुमार सिंह</u> | उपजिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2- श्री. <u>शिवानन्द सुन्त</u> | उप प्रभागीय वनाधिकारी | सदस्य |
| 3- श्री. <u>आरकल विनोद</u> | सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सदस्य/सचिव | |
| 4- श्री. <u>सुरेष्ट सिंह प्रवार</u> | वी.डी.सी. क्षेत्र | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली के अन्तर्गत सिकोटी नामक स्थान से गोलिम, रोपा तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.235 हे. वन भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु मा. सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पाति प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं तत् सम्बन्धित नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से मा. सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जाती है।

Akshat
उपजिलाधिकारी
अध्यक्ष
विकास अधिकारी
चमोली

[Signature]
उप प्रभागीय वनाधिकारी
सदस्य

[Signature]
सहायक समाज कल्याण अधिकारी
सदस्य/सचिव

[Signature]
वी.डी.सी. क्षेत्र
क्षेत्र पंचायत सदस्य
रंगतोली वि०ख०-दशोली
(चमोली)

परियोजना का नाम : जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली में चमोली-पलेठी मोटर मार्ग के सिकोटी नामक स्थान से गोलिम-रोपा होते हुए अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली के अन्तर्गत अटल आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली में चमोली-पलेठी मोटर मार्ग के सिकोटी नामक स्थान से गोलिम-रोपा होते हुए अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 3.92 हे० वन भूमि हस्तान्तरण हेतु 3.92 हे० सिविल वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रत्यावर्तित करने हेतु प्रस्तुत किया गया था। जिसमें उनके द्वारा वनाधिकार 2006 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा है।

उक्त प्रकरण में सम्बन्धित ग्राम पंचायती की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी यह की वनाधिकार अधिनियम 2006 प्राविधानों के तहत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है। एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं। नहीं किसी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी समुदाय का कब्जा/कृषि कार्य है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभाओं द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि उक्त वन भूमि 3.92 हे० सिविल भूमि को प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए परियोजना निर्माण हेतु दिये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम सभाओं की बैठक की उपस्थिति संलग्न है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



अनापत्ति प्रमाण-पत्र

आज दिनांक 25/03/2015 को ग्राम पंचायत गोलिम-रोपा की खुली बैठक हुयी जिसमें निर्णय लिया गया की हम समस्त ग्रामवासियों को सिफोटी नामक तोक से गोलिम-रोपा होते हुए अनुसूचित ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग (लं. 8.00 किमी.) के निर्माण से कोई आपत्ति नहीं है, एवं मोटर मार्ग का निर्माण शीतातीशीघ्र किया जाय, जिससे ग्रामीणों को यातयात की सुविधा मिल सके, एवं उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में आने वाली भूमि एवं संरेखण से हमें कोई आपत्ति नहीं है।

(नाम) (स्थान)

नया बंदे श्री...

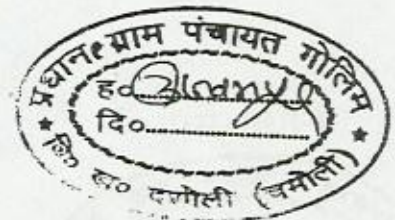
- नया बंदे गडिया

सीतादेवी
गीता देवी जगदीश लाल

जगदीश लाल
नरेश लाल श. भाग-इलाल
जगदीश लाल

जगदीश लाल (अध्यापी)
जगदीश

ग्राम प्रधान



PHOTOCOPY
ATTESTED

AE

बहालक बनिमता
प्रा. द. लो. नि. दि.
पोंकेबर

आज दिनांक 11.3.15 को ग्राम पंचायत हरमनी की खुली बैठक हुयी जिसमें निर्णय लिया गया की हम समस्त ग्रामवासियों को सिफोटी नामक तोक से गोलिम-रोपा होते हुए अनुसूचित ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग (लं. 8.00 किमी.) के निर्माण से कोई आपत्ति नहीं है, एवं मोटर मार्ग का निर्माण शीतातीशीघ्र किया जाय, जिससे ग्रामीणों को यातयात की सुविधा मिल सके, एवं उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में आने वाली भूमि एवं संरेखण से हमें कोई आपत्ति नहीं है।

① केशव सिंह

② मदन सिंह

③ राजपाल सिंह

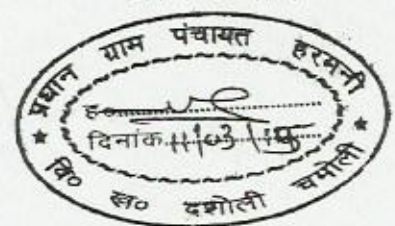
④ मोहन सिंह

PHOTO COPY
ATTACHED

(100)
AE

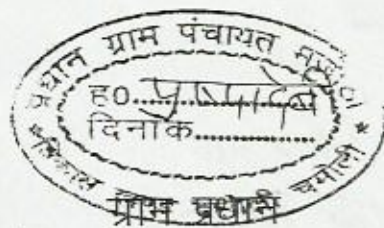
सहायक अधिवक्ता
वा. व. लो. नि. वि.
रोडवेड

ग्राम प्रधान



अनापत्ति प्रमाण-पत्र

आज दिनांक 13.12.15 को ग्राम पंचायत सजोषी की खुली बैठक हुयी जिसमें निर्णय लिया गया की हम समस्त ग्रामवासियों को सिफोटी नामक तोक से गोलिम-रोपा होते हुए अनुसूचित ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग (लं. 8.00 किमी.) के निर्माण से कोई आपत्ति नहीं है, एवं मोटर मार्ग का निर्माण शीतातीशीघ्र किया जाय, जिससे ग्रामीणों को यातयात की सुविधा मिल सके, एवं उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में आने वाली भूमि एवं संरेखण से हमें कोई आपत्ति नहीं है।



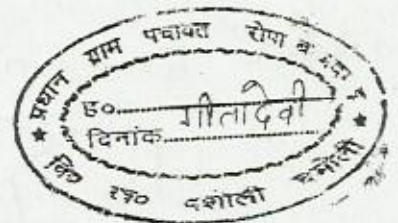
1. गोपालादि वत्सल Signature
2. शिशुबाबादि वत्सल Signature
3. सुरेशादि वत्सल Signature

PHOTOCOPY
ATTESTED
(15/12/15)
ग्राम पंचायत सजोषी
डा. व. सो. नि. दि.
सोपेयदर

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

आज दिनांक 15.03.15 को ग्राम पंचायत रोपा-वाल्मिकी की खुली बैठक हुयी जिसमें निर्णय लिया गया की हम समस्त ग्रामवासियों को सिफोटी नामक तोक से गोलिम-रोपा होते हुए अनुसूचित ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग (लं. 8.00 किमी.) के निर्माण से कोई आपत्ति नहीं है, एवं मोटर मार्ग का निर्माण शीतातीशीघ्र किया जाय, जिससे ग्रामीणों को यातयात की सुविधा मिल सके, एवं उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में आने वाली भूमि एवं संरेखण से हमें कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम प्रधान



1. प्रमोद सिंह
2. विनोद सिंह
3. [Signature]
4. देवेंद्र सिंह
5. जमल सिंह
6. दर्शन सिंह
7. सुकेश
8. प्रकाश सिंह
9. [Signature]
10. मोहन सिंह
11. लक्ष्मण सिंह
12. [Signature]
13. [Signature]
14. [Signature]

Photocopy
Attested
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

कि जो रोड को सर्व गोलेम से जालीमारे लक
हुई कि जिसमें को हमारे ग्राम सभा समझते हैं
वस्तु व जालीमारे तथा रोपा-चलथर से आनेवाला
रोड पर कोई आपला नही लगा रहे है

अतः महादयजी से निवेदन है कि इस रोड के बायें
को जल्द से जल्द सुरु कर दिया जाये को
हृषा कोजर,

ग्राम प्रधान समझते

ग्राम प्रधान रोपा-चलथर



शे पराजिता देवी
कि निवेदन

PHOTOCOPY
ATTESTED
(20) AE

- (24) जयजी
- (25) जयजी देवी
- (26) शारदा देवी
- (27) Jeyan Prasad
- (28) सुनील देवी
- (29) Arjun Kumar
- (30) राजेश्वरी देवी
- (31) [Signature]



- (32) कार्तिका
- (33) राजेश्वरी देवी

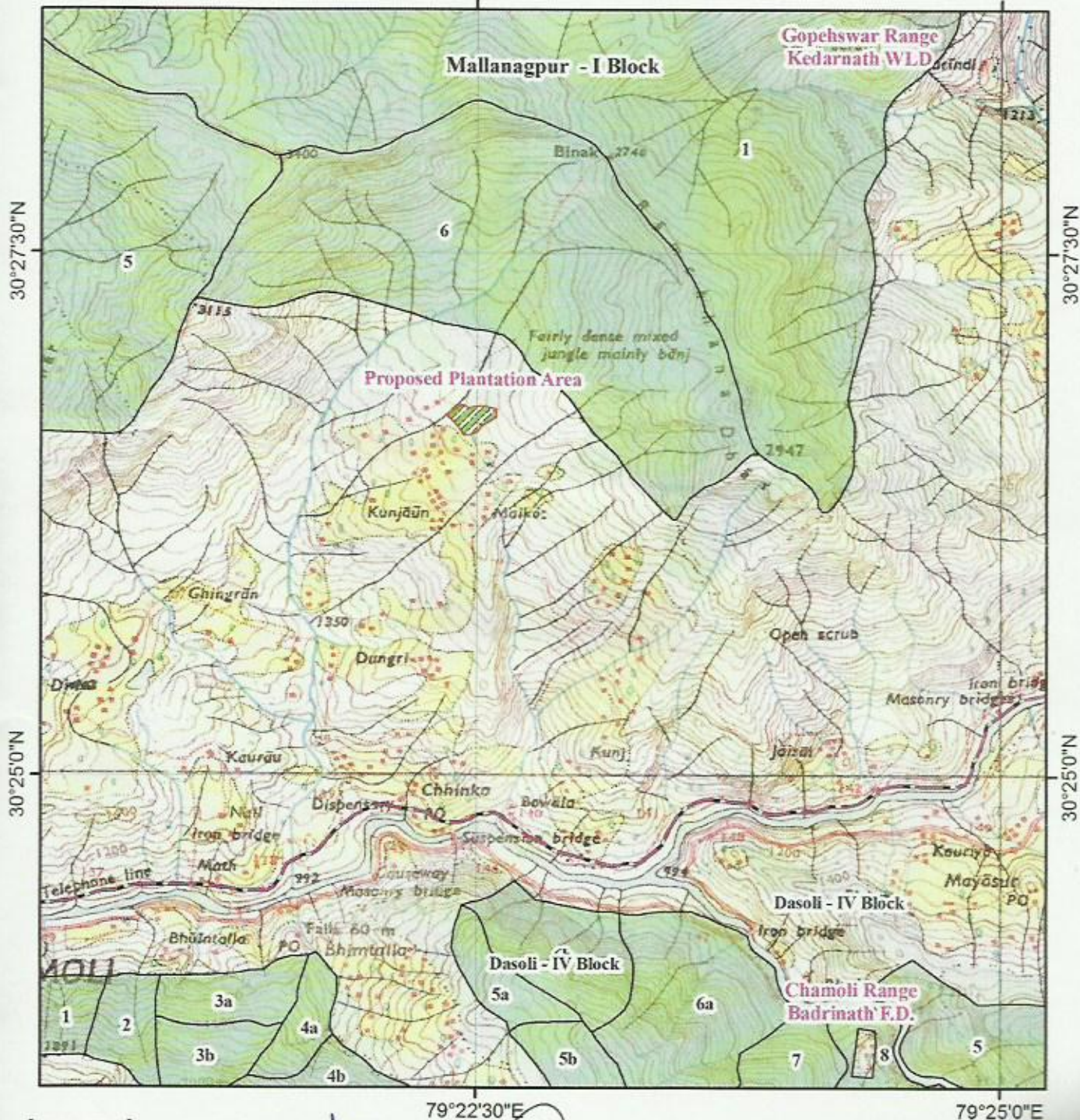
- (1) हिमचल शकेश लाल
- (2) गन-दराल
- (3) [Signature]
- (4) सुरेश लाल
- (5) आशाराम
- (6) मुकन्द लाल
- (7) लल्लू लाल
- (8) प्रकाश लाल
- (9) सतीश लाल
- (10) भगदी शर्मा
- (11) गिरीश चन्द
- (12) गं. लाल
- (13) वसन्त लाल
- (14) प्रकाश चन्द
- (15) [Signature]
- (16) [Signature]
- (17) [Signature]

डिजिटल मानचित्र - जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत चमोली पलेटी सरतोली मोटर मार्ग के सिकोटी नामक स्थान से गोलिम रोपा अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल

0 0.5 1 1.5 Km

79°22'30"E

79°25'0"E



Legend

-  Proposed Plantation
-  Reserve Forest Area
-  Reserve Forest Boundary
-  Forest Division Boundary

Handwritten signature/initials

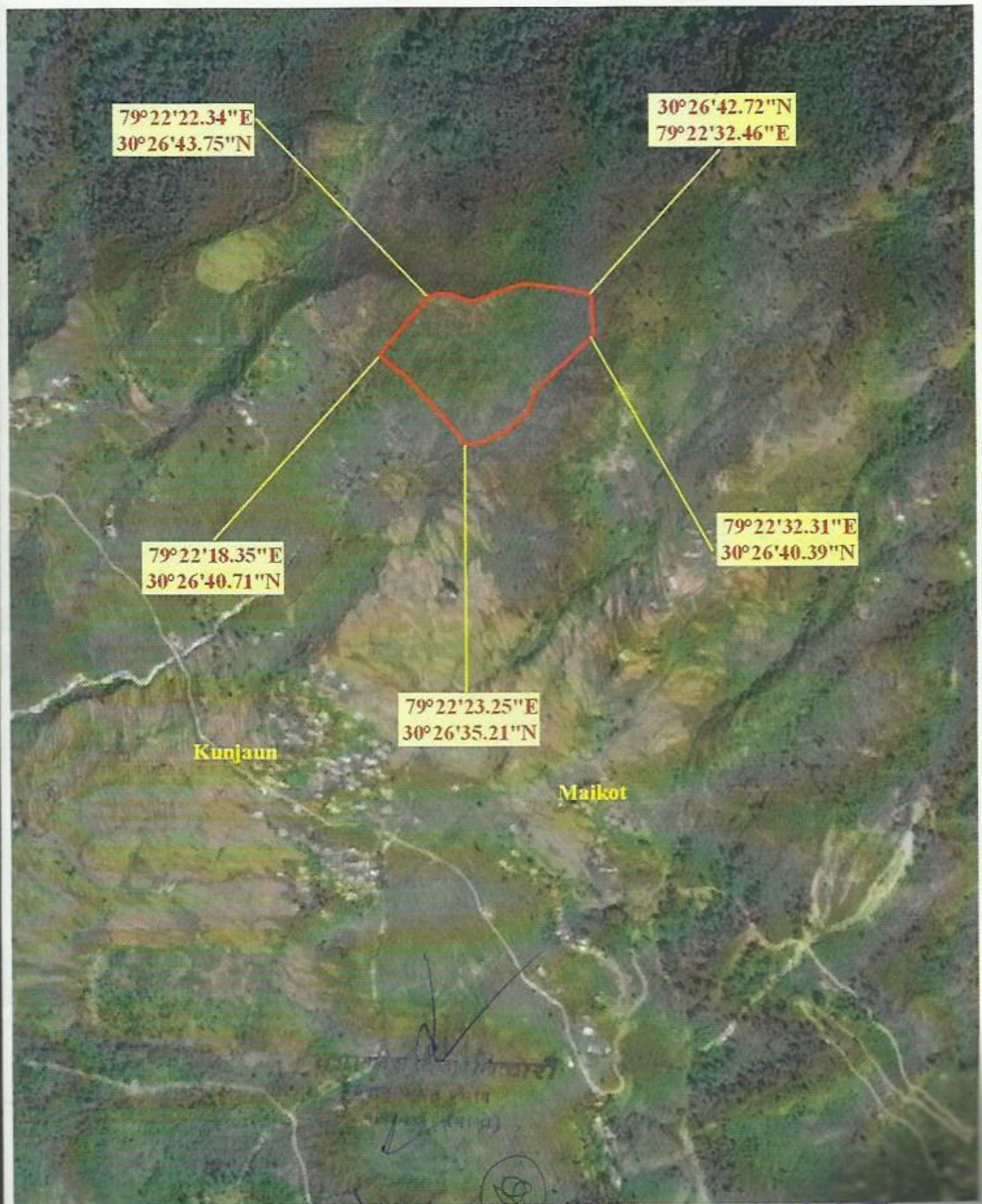
सहायक वन्यजन्तु
डा० व० जे० वि० कि०
दोपेखर

वन सहायिका
चमोली रेंज
बदीनाथ वन प्रभाग-गोपेश्वर

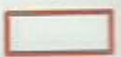
अधिसूचक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

Handwritten signature/initials

डिजिटल मानचित्र – जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत चमोली पलेटी सरतोली मोटर मार्ग के सिकोटी नामक स्थान से गोलिम रोपा अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल



Legend



Proposed Plantation Area

अधिकांश वनस्थिति
 17.6 ब. ले. नि. वि.
 क्षेत्र

अधिकांश वनस्थिति
 प्रान्तीय वन्य जंतु अभयारण्य
 क्षेत्र

प्रतिवेदन

परियोजना का नाम :-

चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में चमोली-पलेठी-सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु राज्य योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या 818/III-2/14-48 (प्रा0आ0)/2013 दि0 08.02.2014 द्वारा 8.00 किमी0 लम्बाई हेतु रु0 141.84 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई। जिसके विरुद्ध मात्र 3.92 हे0 वनभूमि हस्तान्तरण का यह प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।

इस मोटर मार्ग निर्माण की स्वीकृति विकासखण्ड दशोली में पर्वतीय एवं दूरस्थ ग्राम गोलिम, रोपा, चलथर, सेमडुंगरा आदि ग्रामों हेतु आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गयी है। उक्त संरेखण में ग्रामवासियों की पूर्ण सहमति प्राप्त है।

उक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु दो संरेखणों पर विचार किया गया, किन्तु संरेखण नं0 1 इस प्रकार तय किया गया कि इसमें न्यूनतम वन भूमि एवं कम से कम वृक्ष पड़ें साथ ही इस संरेखण के मध्य कोई मंदिर, मस्जिद, कब्रस्तान, धार्मिक स्थल आदि नहीं पड़ते हैं, संरेखण का निरीक्षण भूगर्भवेत्ता द्वारा किया जा चुका है, भूगर्भीय दृष्टि से यह उचित पाया गया है, इस संरेखण के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक संरेखण उक्त बिन्दुओं को परिपूर्ण नहीं कर सकता है। क्योंकि संरेखण नं0 2 में अधिक वन सम्पदा का नुकसान होने के साथ ही एच0पी0 बैण्डों की संख्या () भी अधिक आ रही है, जिस कारण मार्ग एवं गांव के स्थायित्व को खतरा उत्पन्न हो गया है। अतः प्रस्तावित संरेखण नं0 1 उपयुक्त है, इस संरेखण में 3.92 हे0 में ही भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव गठित किया जा रहा है जो कि मोटर मार्ग निर्माण हेतु न्यूनतम है। मोटर मार्ग निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण 7.00 मी0 चौड़ाई में किया जा रहा है, मार्ग का निर्माण 6.00 मीटर चौड़ाई में किया जायेगा तथा इस मार्ग पर पड़ने वाले वृक्षों की गणना 6.00 मी0 चौड़ाई में ही की गयी है, जिसकी सूची प्रस्ताव में संलग्न है।

अतः 7.80 किमी0 लम्बाई में मोटर मार्ग मार्ग निर्माण हेतु 3.92 हे0 सिविल वनभूमि की आवश्यकता है, जो न्यूनतम है। उक्त वनभूमि लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण करने हेतु प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता

अधिशाली अभियन्ता
प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर

04/02/2014

संख्या- 818 / 111(2) / 14-48(प्रौ0आ0) / 2013

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 08 फरवरी, 2014

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2013-14 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 04 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता ग0क्ष0, लो0नि0वि0, पौड़ी द्वारा संलग्न विवरणानुसार प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये विभिन्न 04 कार्यों के प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 16.00 किमी0 तथा लागत रु0 183.94 लाख है, पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत रु0 183.94 लाख (रु0 एक करोड़ त्रिरासी लाख चौरानवे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में संलग्नक के कॉलम सं0-5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य रु0 0.10 लाख अर्थात् कुल 04 कार्य हेतु रु0 0.40 लाख (रु0 चालीस हजार मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु आपके निर्वर्तन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0:-1764/111(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्चोरमेन्ट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0-22-लेखाधीन-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य संडकें-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण -00-24 सड़क निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित निर्वर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

Photo Copy

Heated

363
20/02/2014

(ix)- स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)- वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2014 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(xii) प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाइन/मानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तदनुसार कार्यवाही की जाय।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं०-22-लेखाधीन-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें -आयोजनागत -800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-772(A) /XXVII(2)/2013 दि० 8 फरवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह हयांकी)
अपर सचिव

संख्या:- (1)/111(2)/14-48(प्र०आ०)/2013 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड बुक।

Photo Copy Attested

सहायक अभियन्ता
लो० नि० वि०
पौड़ी

आज्ञा से,

(महिमा)
अनु सचिव

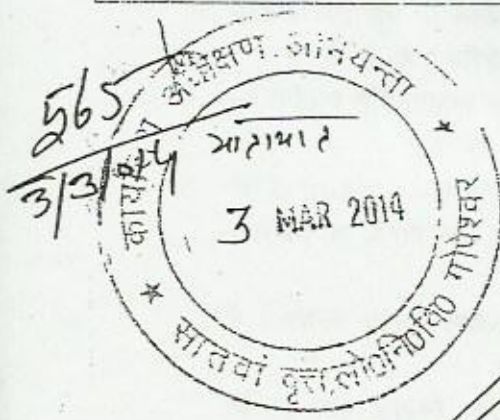
Photo Copy Attested
A. E. O.

शासनादेश संख्या:- 818 / 111(2) / 14-48(प्रोआओ) / 2013 दिनांक 08 फरवरी, 2014 का संलग्नक

(धनराशि लाख रु में)

क्र० स०	कार्य का नाम	लम्बाई किमी० में	टी०ए०सी० द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय हेतु अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत कामदा से छेजुला तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3.50	32.24 [रु. 20.48 + रु. 11.762 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
2	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत गड़त सम्पर्क मार्ग का हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन सहित निर्माण।	4.00	5.80	0.10
3	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र पौड़ी के अन्तर्गत अरकनी-खन्दूखाल-मुछियाली मोटर मार्ग से देवलगांव तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य।	0.50	4.06 [रु. 2.93 + रु. 1.13 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
4	जनपद चमोली के विकासखण्ड-दशोली में चमोली-पलेठी-सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम, पोल, रोपा होते हुए अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण।	8.00	141.84 [रु. 46.80 + रु. 95.04 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
	योग:-	16.00	183.94	0.40

(कुल रुपये चालीस हजार मात्र)



कार्यालय
अधीक्षण अभियन्ता
सातवाँ वृत्त लो० नि० वि०
गोपेश्वर

(अरविन्द सिंह हयांकी)
अपर सचिव

सं० 565/21 याता-मा० दि० 03/14

प्रतिनिधि:- अधिशासी इंजिनिअर, प्रो०
खण्ड लो० नि० वि० गोपेश्वर को सूचनाय
एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिनिधि:- वज्ज के के सूचनाय

प्रतिनिधि:- कनिष्ठ इंजिनिअर प्रो० वृत्त
कार्यालय के सूचनाय प्रेषित।

अधीक्षण अभियन्ता
सातवाँ वृत्त लो० नि० वि०
गोपेश्वर

Photo Copy Attested.

अधीक्षण अभियन्ता
सातवाँ वृत्त लो० नि० वि०
गोपेश्वर

photo copy Attested.

अधीक्षण अभियन्ता

परियोजना का नाम:-

चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 05.01.2015 को उपरोक्त प्रयोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री नत्था सिंह राणा, वन दरोगा, राजस्व विभाग की ओर से श्री प्रेम प्रकाश गोस्वामी, उप राजस्व निरीक्षक, प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री शरद कुमार टम्टा, कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा संयुक्त निरीक्षण में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आरक्षित वन भूमि 0.00 हे०, सिविल एवं सोयम वन भूमि 3.920 हे०, वन पंचायत भूमि 0.00 हे० एवं नाप भूमि 1.54 हे० प्रभावित होती है। मार्ग निर्माण हेतु अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि की चौड़ाई 7.00 मी० ली गई है एवं मार्ग का निर्माण 6.00 मी० चौड़ाई में किया जायेगा। प्रस्तावित परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल/समरेखन के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों/समरेखनो के चयन हेतु भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्यता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समरेखन/स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसमें 2200 मी० नाप भूमि से, 5600 मी० सिविल भूमि से, 0.00 मी० वन पंचायत से 0.00(मी०) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखन/स्थल के चयन में कुल 1.54 हे० नाप भूमि 3.92 हे० सिविल भूमि 0.00 हे० वन पंचायत भूमि 0.00 हे० आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 3.92 हे० भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर चुने गये स्थल पर लगभग 777 वृक्ष व नापभूमि 170 वृक्ष विभिन्न प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे।

इस समरेखन के तुलना में जो वैकल्पिक समरेखन देखे गये उसमें 1800 मी० नाप भूमि से, 6000 मी० सिविल भूमि, 0.00 मी० वन पंचायत से 0.00 (मी०) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखन/स्थल के चयन में 1.26 हे० नाप भूमि, 4.20 हे० सिविल भूमि, 0.00 हे० वन पंचायत भूमि, 0.00 हे० आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 4.20 हे० भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

चुने गये समरेखन का प्रारम्भ होने का स्थल का जी०पी०एस० मान 79°19'40"-E, 30°23'25"-N है तथा यह स्थल चमोली-पलेठी-सरतोली मोटर मार्ग के सिकोटी नामक स्थान से प्रारम्भ होता है, समरेखन का अन्तिम स्थल ग्राम चलथर है, जिसका जी०पी०एस० मान 79°20'5.82"-E, 30°22'14.58"-N है।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखन किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है। चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखन के चयन से ग्राहवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं होगा।

इस समरेखन पर मार्ग के निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु विभिन्न स्थल उपयुक्त पाये गये हैं जिनका GPS मान 79°19'39.35"-E, 30°23'24.63"-N, 79°19'40.79"-E, 30°23'2.41"-N, 79°19'56.51"-E, 30°22'48.77"-N, 79°20'39.31"-E, 30°22'32.30"-N, 79°20'41.91"-E, 30°22'23"-N, 79°20'32.42"-E, 30°22'25.78"-N, 79°20'6.60"-E, 30°22'15.59"-N, है।

मलवा निस्तारण हेतु डम्पिंग जोन प्रस्तावित है।

अमीन

सहायक अभियन्ता

अभियन्ता

अभियन्ता
प्रादेशिक विकास विभाग
गोरखपुर

वन क्षेत्राधिकारी
पीपलकोटी रेंज
गोपेश्वर

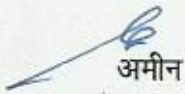
वन क्षेत्राधिकारी
पीपलकोटी रेंज
गोपेश्वर

उप निरीक्षक
वन क्षेत्राधिकारी
चमोली

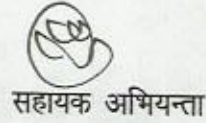
परियोजना का नाम :- चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त किये जाने का प्रमाण-पत्र।

प्रस्तावित परियोजना हेतु दो संरेखणों पर विचार किया गया, समरेखण नम्बर एक उचित एवं उपयुक्त पाया गया, संरेखण नम्बर दो भूगर्भीय एवं पर्यवरणीय दृष्टि से अनपयुक्त पाया गया।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशाली अभियन्ता
प्रा० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

संरेखण आख्या

कार्य का नाम:-

जनपद चमोली, विकासखण्ड दशोली में राज्य योजना के अन्तर्गत चमोली-पलेली-सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक स्थान-तोक से ग्राम गोलिम-पोल-रोपा होते-हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग निर्माण का संरेखण प्रस्ताव।

मार्ग की स्वीकृति:-

शासनादेश सं. 818/111(2)/14-48 (प्र0आ0)/2013 दि. 08.02.2014

स्वीकृत लम्बाई :-

8.00 किमी.

लागत :-

₹ 141.84 लाख।

संरेखण की उपयोगिता:-

विकासखण्ड दशोली में चमोली-पलेली-सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक स्थान-तोक से ग्राम गोलिम-पोल-रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर को सर्वश्रेष्ठ मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु कुल 8.00 किमी. मोटर मार्ग की आवश्यकता है, जिसके तहत 8.00 किमी. लम्बाई में प्रथम निर्माण हेतु शासनादेश सं. 818/111(2)/14-48 (प्र0आ0)/2013 दि. 08.02.2014 द्वारा रु. 141.84 लाख की स्वीकृति (छाया प्रति संलग्न) प्रदान की गयी है।

यह संरेखण करने से पूर्व ग्रामवासियों की बैठक कर सर्वेक्षण चयनित स्थानों से पूर्ण किया गया। इस संरेखण प्रस्ताव में मार्ग का ग्रेड पूर्ण लम्बाई में 1:20 रखा गया है एवं इसमें 6 एच.पी. बैंड पड़ते हैं। उक्त मोटर मार्ग चमोली-पलेली-सरतोली मोटर मार्ग के किमी. 4 से प्रारम्भ होकर ग्राम गोलिम, पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक जाता है। मार्ग का भू-वैज्ञानिक द्वारा भी दि. 10.12.2014 को निरीक्षण किया जा चुका है तथा इस पर उनकी भी सहमति है (छाया प्रति संलग्न)। इस संरेखण में कोई विवाद नहीं है एवं इससे मार्ग की लम्बाई भी 8.00 किमी. आती है, जिसमें कि 5.00 किमी. मार्ग नापभूमि एवं शेष 3.00 किमी. मोटर मार्ग सिविल वनभूमि से गुजरता है। मार्ग के किमी. 4.00 में 36 मी. स्पान के लौह सेतु की आवश्यकता होगी। प्रथम संरेखण कन्टूर प्लान में दूरे रंग से दर्शाया गया है एवं संरेखण नं. 2 को लाल रंग से दर्शाया गया है।

प्रस्तावित मार्ग का संरेखण इस प्रकार तय किया गया है कि न्यूनतम वन भूमि एवं कम से कम वृक्ष पड़ें। प्रस्तावित संरेखण पर कोई मंदिर, मस्जिद एवं धार्मिक स्थल नहीं पड़ते हैं एवं संरेखण का निरीक्षण भूगर्भवेत्ता द्वारा किया जा चुका है, इस संरेखण के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक संरेखण उक्त बिन्दुओं को परिपूर्ण नहीं करता है।

संरेखण का विवरण:-

चमोली-पलेली-सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक स्थान-तोक से ग्राम गोलिम-पोल-रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर को जोड़ने हेतु 8.00 किमी. लम्बाई में इस मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु सर्वे ऑफ इण्डिया के कन्टूर, मानचित्र पर प्रस्तावित समरेखण क्रमशः लाल एवं हरे रंग से दर्शाया गया है। जिसमें लाल रंग प्रस्तावित संरेखण से क्षेत्र की जनता सन्तुष्ट है तथा तुलनात्मक विवरण के अनुसार प्रस्तावित संरेखण (1) ही उचित है। अतः प्रस्तावित संरेखण जो कि लाल रंग से अंकित है, संस्तुति सहित अनुमोदन हेतु प्रेषित है।

तुलनात्मक विवरण

क्र.सं.	मद का नाम	समरेखण (1) लाल रंग में	समरेखण (2) हरा रंग में
1.	मुख्य विशेषताएँ एवं विवरण	जनपद चमोली, विकासखण्ड दशोली में राज्य योजना के अन्तर्गत चमोली-पलेडी-सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक स्थान तक से ग्राम गोलिम-पोल-रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग नव निर्माण करने हेतु संरेखण गठित किया गया है। जिसमें ग्राम गोलिम, रोपा, पोल, चलथर की सहमति प्राप्त है।	समरेखण नं. 1 के अनुसार
2.	प्रस्तावित दृष्टिकोण से समरेखण की लम्बाई	8.00 किमी.	8.00 किमी.
3.	वर्तमान यातायात के साधन	पैदल मार्ग	पैदल मार्ग
4.	भूमि (अ) सिविल भूमि (ब) कृषि योग्य भूमि 1. सिंचित 2. असिंचित	शून्य 3.00 किमी. 5.00 किमी.	शून्य 4.00 किमी. 4.00 किमी.
5.	सूर्य प्रकाशित भूभाग	शून्य	शून्य
6.	भूस्खलन	शून्य	शून्य
7.	भूमि	मिट्टी, पत्थर, कठोर चट्टान आदि	मिट्टी, पत्थर आदि
8.	वनस्पति	पैड़ पौधे	पैड़ पौधे
9.	मार्ग का ढाल	1:20 R	1:20 R
10.	अनुप्रस्थ ढाल-1. सामान्य ढाल 2. तीव्र ढाल	40 से 60 तक 20 से 40 तक	50 से 70 तक 30 से 50 तक
11.	भू-भाग 1. कठोर चट्टान 2. कोमल चट्टान	1.50 किमी. 6.50 किमी.	3.00 किमी. 5.00 किमी.
12.	अस्थिर भूमि की लम्बाई	शून्य	शून्य

13.	साधन 1. लकड़ी 2. पत्थर 3. मजदूर	स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता	स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता
14.	पानी का विकास (अ) छोटे पुल संख्या व विस्तार (अ) बड़े पुल संख्या व विस्तार	किमी. 4 में 36 मी. स्पान लौह सेतु	किमी. 4 में 40 मी. स्पान लौह सेतु
15.	वर्षा एवं जलवायु की दशा	मार्ग मात्र ग्रीष्म ऋतु योग्य रहेगा। ठंडी जलवायु	समरेखण नं. 1 अनुसार
16.	लाभान्वित ग्रामों की संख्या (अ) प्रत्यक्ष रूप से (ब) अप्रत्यक्ष रूप से	ग्राम का नाम कोड सं. जनसंख्या एस.सी. गोलिम रोपा चलथर	समरेखण नं. 1 अनुसार
17.	वर्तमान मार्ग से प्रस्तावित मार्ग का सम्बन्ध	यह संरेखण चमोली-पलेठी-सस्तोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक स्थान तोक से ग्राम गोलिम-पोल-रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग नव निर्माण करने हेतु संरेखण गठित किया गया है। जिसमें ग्राम पोल, गोलिम, रोपा, चलथर की सहमति प्राप्त है। जिससे इस गांव की जनता को यातायात की सुविधा उपलब्ध होगी।	समरेखण नं. 1 अनुसार
18.	सामरिक महत्व	-	-
19.	हेयर पिन बैण्ड	6 नं.	7 नं.
20.	कृषि एवं फल की दृष्टि से महत्व	क्षेत्र की मुख्य पैदावार जैसे आलू, दाल, सब्जी आदि का दुलान स्थानीय बाजार में आसानी से पहुँचने के कारण बाजार की सुविधा मिलेगी।	समरेखण नं. 1 अनुसार
21.	वन सम्पदा का उपयोग	जड़ी बूटी एवं अन्य वन सम्पदा का संरक्षण हो सकेगा।	समरेखण नं. 1 अनुसार
22.	खनिज सम्पदाओं का उपयोग।	खनिज सम्पदाओं का पता लगाने में मदद मिलेगी तथा खनिज का निर्यात होने से क्षेत्रीय जनता को लाभ मिलेगा।	समरेखण नं. 1 अनुसार
23.	लाभ व हानि	1. कठोर चट्टान कम लम्बाई में पड़ेगी। 2. ग्राम वासियों के मकानों को कोई क्षति नहीं होगी। 3. तकनीकी दृष्टि से यह संरेखण उपयोगी है। 4. इस संरेखण में 6 एच.पी. बैंड पड़ेगे। 5. इस संरेखण से ग्रामवासी भी पूर्ण रूप से सहमत	1. कठोर चट्टानें अधिक लम्बाई में पड़ेगी। 2. ग्राम वासियों के खेतों की क्षति होने की सम्भावना है, साथ ही उक्त संरेखण में वृक्षों की संख्या भी अधिक आ रही है। क्षतिग्रस्त सम्पत्तियों के लिए अधिक मुआवाजा देने की

है।

6. मार्ग के किमी. 4.00 में 36 मी. स्पान मोटर लौह सेतु की आवश्यकता होगी, किन्तु उक्त सेतु से मार्ग के स्थाईत्व को कोई भी खतरा नहीं है।
7. इस संरेखण पर मार्ग का निर्माण मितव्ययी होगा।

प्रबल स्थिति बनी हुई है।

3. तकनीकी दृष्टि से यह संरेखण उपयोगी नहीं है।
3. इस संरेखण में 7 एच.पी. बैंड पड़ेगे।
4. नाप भूमि अधिक पडने की सम्भावना के कारण तथा इस संरेखण की लम्बाई अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण निर्माण में अधिक लागत के व्यय होने से उपयोगी नहीं है।
5. अधिक लम्बाई होने के कारण तथा ग्रामीणों के अधिक खेतों के आने से ग्रामवासी कतई सहमत नहीं हैं।
6. मार्ग के किमी. 4.00 में 40 मी. स्पान लौह सेतु की आवश्यकता होगी, जिस कारण निर्माण की लागत अधिक आयेगी।

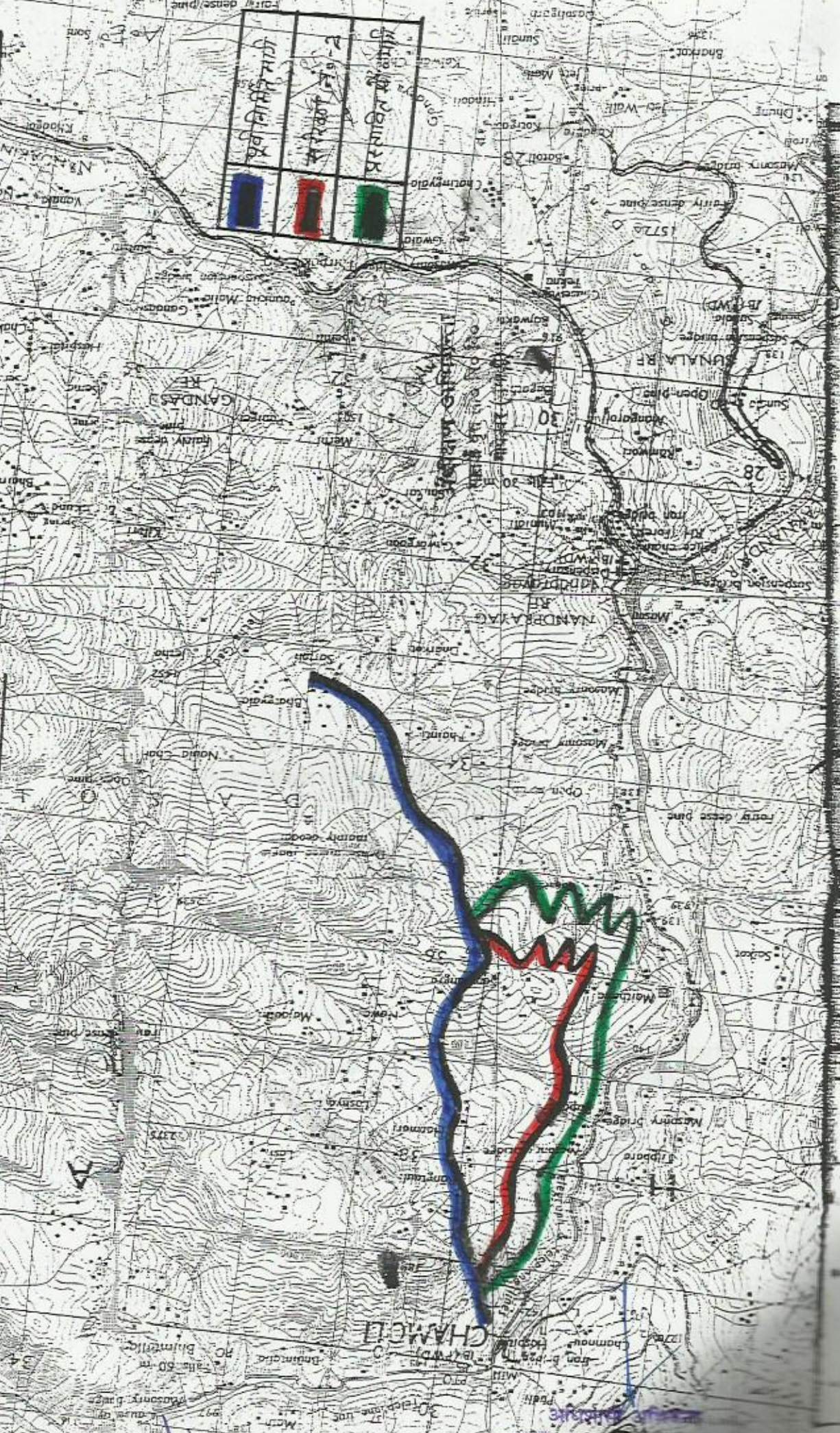
कनिष्ठ अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड, लो.नि.वि.,
गोपेश्वर

सहायक अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड, लो.नि.वि.,
गोपेश्वर

अधियासी अभियन्ता
अधियासी अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड, लो.नि.वि.,
गोपेश्वर

काय का नाम :- जमपट्ट स्वामीजी के चिकित्सक दशरथो ने राज्य घोषणा के प्रसंगी
 मोहर सगरी से राम जी विस-गीम-रोण होते हुए अनुसूचित राम बालयर तक नेहरु माजी
 का निर्माण करावर्दि ७०० किमी.

पुर्व निर्मित माजी	सरकारी नं-२	प्रस्तावित माजी
		



अधिशाली

न्यूनतम भूमि का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक टोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

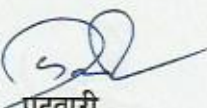
प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत चमोली-पलेठी-सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक टोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग मोटर मार्ग निर्माण हेतु जो सिविल वन भूमि ली गयी है, वह न्यूनतम है तथा लो0नि0वि0 मानक के अनुसार इससे कम भूमि में मार्ग निर्माण सम्भव नहीं है।

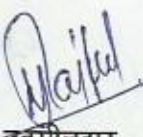

अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशासी अभियन्ता
प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर


पटवारी


तहसीलदार
तहसीलदार
(सदर)
चमोली


उपजिलाधिकारी,
चमोली

वैकल्पिक भूमि का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत चमोली-पलेठी-सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग मोटर मार्ग निर्माण हेतु जिस सिविल वनभूमि का चयन किया गया है, इसके अतिरिक्त कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। यह भूमि केवल मार्ग निर्माण के लिये ही प्रयोग में ली गई है, तथा अन्य सार्वजनिक कार्य में नहीं ली जायेगी।



अमीन



कनिष्क अभियन्ता



सहायक अभियन्ता



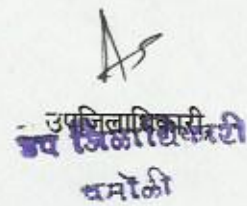
अधिशासी अभियन्ता
प्रां० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर



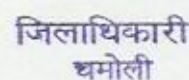
पटवारी



तहसीलदार
तहसीलदार
(सदर)
चमोली



उपजिलाधिकारी
जय जिलाधिकारी
चमोली



जिलाधिकारी
चमोली

लैंड शैड्यूल (आरक्षित)

कार्य का नाम :- चमोली-पलेडी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

जनपद का नाम	वन प्रभाग	राजि कार्यालय	कम्पार्ट नं०	सीमायें
1	2	3	4	6
चमोली	बद्रीनाथ	चमोली	-	पूरव -
	वन प्रभाग		-	पश्चिम -
	गोपेश्वर		-	उत्तर -
				दक्षिण -

वन क्षेत्राधिकारी,
वन क्षेत्राधिकारी
चमोली रेंज

बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

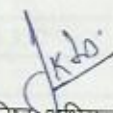
प्रजापति वन क्षेत्राधिकारी
बद्रीनाथ वन भा.
गोपेश्वर (चमोली)

लैण्ड शैड्यूल (सिविल)

कार्य का नाम :- चमोली-पलेटी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

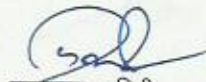
जनपद का नाम	तहसील	ब्लाक	कुल खसरा नंबर	कुल रकबा हे० में	याचित क्षेत्रफल हे० में
1	2	3	4	5	5
चमोली	चमोली	दशोली	20	53.648	3.920
		योग :-	20	53.648	3.920


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता

अधिशायी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर


उपसहायक निरीक्षक
राजेश उपनिषिक्त


तहसीलदार
(सदर)
चमोली


उपजिलाधिकारी,
चमोली


जिलाधिकारी
चमोली

मार्ग पर प्रभावित भूमि की स्थिति

कार्य का नाम :- चमोली-पलेडी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

चैनेज मीटर में	लम्बाई मीटर में	भूमि का प्रकार (क्षेत्रफल हे० में)			
		नाप भूमि	सिविल भूमि	आरक्षित भूमि	वन पंचायत
1	2	3	4	5	6
0-500	500	--	0.350	--	--
500-800	300	0.210	--	--	--
800-1100	300	--	0.210	--	--
1100-1500	400	0.280	--	--	--
1500-2200	700	--	0.490	--	--
2200-2400	200	0.140	--	--	-
2400-3900	1500	--	1.050	--	-
3900-4200	300	0.210	--	--	-
4200-5700	1500	--	1.050	--	--
5700-5900	200	0.140	--	--	--
5900-6600	700	--	0.490	--	--
6600-6900	300	0.210	--	--	--
6900-7300	400	--	0.280	--	--
7300-7800	500	0.350	--	--	--
Total -	7800	1.540	3.920		

 अमीन

 कनिष्ठ अभियन्ता

 सहायक अभियन्ता


अधिसासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

लम्बाई एवं चौड़ाई का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत चमोली-पलेठी-सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग मोटर मार्ग निर्माण में चयनित स्थल हेतु 1.54 हे० नाप, 3.92 हे० सिविल वनभूमि पड़ती है, मार्ग निर्माण हेतु 7.00 मी० चौड़ाई में भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है तथा मार्ग का निर्माण 7.00 मी० चौड़ाई में किया जायेगा।

2200 मी० x 7 मी० =	15400 वर्ग मी०	-	1.54 हे० नाप वनभूमि
5800 मी० x 7 मी० =	40600 वर्ग मी०	-	4.06 हे० सिविल वनभूमि
40 मी० x 6 मी० x 7 =	1680 वर्ग मी०	-	0.168 हे० सिविल वनभूमि(मक डिस्पोजल)

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

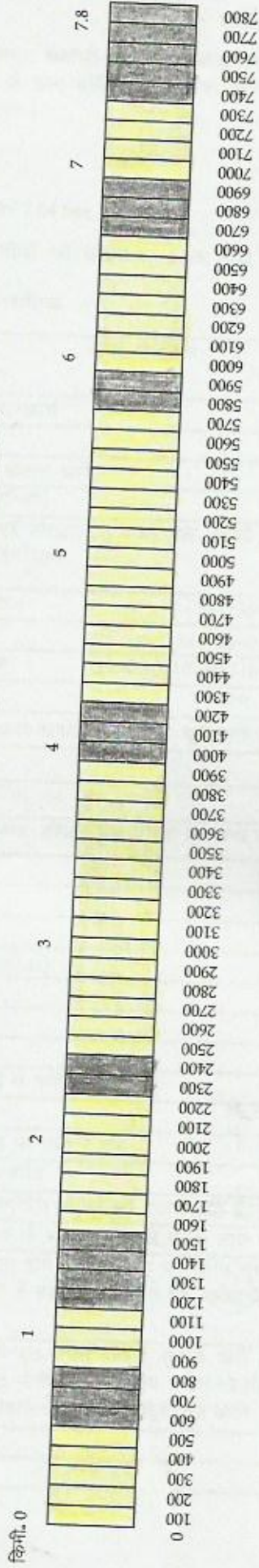
अधिसासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

पटवारी

तहसीलदार
तहसीलदार
(सदर)
चमोलीउपजिलाधिकारी
उप जिलाधिकारी
चमोलीप्रमाणित किया जाता है कि
जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत चमोली-पलेठी-सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग मोटर मार्ग निर्माण में चयनित स्थल हेतु 1.54 हे० नाप, 3.92 हे० सिविल वनभूमि पड़ती है, मार्ग निर्माण हेतु 7.00 मी० चौड़ाई में भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है तथा मार्ग का निर्माण 7.00 मी० चौड़ाई में किया जायेगा।

बार चार्ट

कार्य का नाम :- चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक टोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव



संकेत

सिविल वनभूमि

नाप वन भूमि



सहायक अभियन्ता

कनिष्ठ अभियन्ता

अमीन

अधिशाली अभियन्ता
प्रा.खं. लो.नि.वि.
गोपेश्वर

प्रभालीय अधिकारी

व्यक्तिगत वन भूमि
अधीनस्थ (चमोली)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण

1-परियोजना का नाम- जनपद चमोली में विकासखण्ड दशोली में राज्य योजनान्तर्गत चमोली-पलेठी-सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल रोपा होते हुए अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

2-वृक्षारोपण स्थल का नाम :-

3- क्षेत्रफल :- 3.92 hec x 2= 7.84 hec

4- रापित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 2000 पौध प्रति है0 - 15680.00

5- रोपित की जाने वाली प्रजातियां :-

क्र0सं0	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रु0)	योग
1	प्रथम वर्ष अग्रिम मृदा कार्य				
1	सर्वे एवं सीमांकन	7.84	है0	81.00	635.04
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	7.84	है0	2627.00	20595.68
3	अग्रिम दीवाल बन्दी (फेन्सिंग)	7.84	है0	22275.00	174636.00
4	मृदा एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण हेतु कच्चे चाल-खालों का निर्माण एवं अन्य अभियांत्रिक कार्यों हेतु प्राविधान				
	1- वानस्पतिक चैकडैम - 5x4739=23695.00	7.84		5801.00	45479.84
	2- स्टोन चैकडैम - 5x4739=23695.00				
	3- वाटर हारवैटिंग टैंक (3x2.50x10)2x5310=10620.00				
	योग :- 58010.00				
5	गढढा खुदान कार्य (0.30X0.30X0.45) रेंखाकन चूना सहित	15680	सं0	5.60	87808.00
6	निरीक्षण बटिया बनाना	7.84	है0	645.00	5056.80
7	पौध की कीमत	15680	सं0	4.40	68992.00
8	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयन्त्र, औजार तेज करना एवं अन्य कार्यों पर व्यय	7.84	है0	645.00	5056.80
9	अन्य कार्य		ल0 स0		500.00
	योग - प्रथम चरण				408760.16
2	द्वितीय चरण				
1	गढढा भरान (0.30X0.30X0.45)	7.84	गढढे	1.00	7.84
2	पौधों का मूल्य	15680	पौधे	1.25	19600.00
3	पौध दुलान कार्य	15680	पौधे	6.20	97216.00
4	पौध रोपण व थालाबन्दी	15680	पौधे	1.95	30576.00
5	पौधों की निराई - गुडाई व मलचिंग (दो बार)	15680	पौधे	1.33	20854.40
6	खाद व दवा पर व्यय	15680	पौधे	1.00	15680.00
7	वृक्षारोपण वर्ष में अनुरक्षण पर व्यय 7 माह	7.84	है0	483.00	26507.04
8	8.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत				
	सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है0		ल0 स0		1000.00
	8.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाद के बाहर 4 मी. की पट्टी साफ करना		ल0 स0		1000.00
	8.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।			L.S	1000.00
9	अन्य व्यय साइन बोर्ड पौध दुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पोलीथीन सीट क्रय वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यों को प्रचार-प्रसार एवं डेक्कमेंटेशन आदि कार्य			L.S	1000.00
10	अन्य कार्य		ल0 स0		1000.00
	योग द्वितीय चरण :-				215441.28

क्र०सं०	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रु०)	योग
वृक्षारोपण का प्रथम वर्ष का रखरखाव					
क्र०सं०	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रु०)	योग
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष में अनुरक्षण कार्य				
1	पौधों की लागत	1568.00	पौधे	5.65	8859.20
2	पौधे डुलान कार्य	1568.00	पौधे	6.20	9721.60
3	पुनः गडढा खोदना एवं रोपण कार्य	1568.00	गडढे	3.10	4860.80
4	गडढों में गोबर खाद डालना लागत सहित	1568.00	गडढे	1.37	2148.16
5	पौधों की शीतकालीन मलचिंग	1568.00	पौधे	1.15	1803.20
6	वनीकरण चौकीदारी (12 माह) 1 वर्ष	7.84	है०	483.00	45440.64
7	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य		ल० स०		1000.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०		ल० स०		1000.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना		ल० स०		1000.00
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना			L.S	1000.00
3	अन्य कार्य		ल० स०		1000.00
	योग				77833.60
वृक्षारोपण का द्वितीय वर्ष का रखरखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य 1 वर्ष	7.84	है०	483.00	45440.64
2	अन्य कार्य		ल० स०		1000.00
	योग				46440.64
वृक्षारोपण का तृतीय वर्ष का रखरखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य 1 वर्ष	7.84	है०	483.00	45440.64
2	अन्य कार्य		ल० स०		1000.00
	योग				46440.64
वृक्षारोपण का चतुर्थ वर्ष का रखरखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष में अनुरक्षण कार्य 1 वर्ष	7.84	है०	483.00	45440.64
2	अन्य कार्य		ल० स०		1000.00
	योग				46440.64
वृक्षारोपण का पंचम वर्ष का रखरखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष में अनुरक्षण कार्य 1 वर्ष	7.84	है०	468.00	44029.44
2	अन्य कार्य		ल० स०		500.00
	योग				44529.44
वृक्षारोपण का छठे वर्ष का रखरखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त छठे वर्ष में अनुरक्षण कार्य 1 वर्ष	7.84	है०	483.00	45440.64
2	अन्य कार्य		ल० स०		1000.00
	योग				46440.64
वृक्षारोपण का सातवें वर्ष का रखरखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सातवें वर्ष में अनुरक्षण कार्य 1 वर्ष	7.84	है०	483.00	45440.64
2	अन्य कार्य		ल० स०		1000.00
	योग				46440.64
वृक्षारोपण का आठवें वर्ष का रखरखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त आठवें वर्ष में अनुरक्षण कार्य 1 वर्ष	7.84	है०	483.00	45440.64
2	अन्य कार्य		ल० स०		1000.00
	योग				46440.64

क्र०स०	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रु०)	योग
वृक्षारोपण का नौवें वर्ष का रखरखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त नौवें वर्ष में अनुरक्षण कार्य 1 वर्ष	7.84	है०	483.00	45440.64
2	अन्य कार्य		ल० स०		1000.00
	योग				46440.64
वृक्षारोपण का दसवें वर्ष का रखरखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त दसवें वर्ष में अनुरक्षण कार्य 1 वर्ष	7.84	है०	483.00	45440.64
2	अन्य कार्य		ल० स०		1000.00
	योग				46440.64
	कुल योग :-				1117589.60

(18/11/2020)
 11/11/2020
 12/11/2020

वन क्षेत्राधिकारी
 चमोली रेंज
 बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

बिनामीय अधिकारी
 बद्रीनाथ वन प्रभाग
 चमोली रेंज

दायापरि सम्बा ग्राम कुर्जो मैनेर पञ्चायत विला चकोकी

सन् १९९० भूनि

अर्ज - मन्त्र

नोट - सुरु रंग की रेखाओं से काटते भूमि खण्डों
 1877-रकबा 69.79780 लाखों 8.176 भूमि-नोबिस
 पोल; शीपा से भूमि आदि ग्राम-भूमि
 वर मोर कार्ड निर्माण है
 वारिंटक नुसारण है

जिल्हा गट

हेतु प्रमाणित



२०/१०/९०
 डा. रा. उ. उ. उ.
 जिल्हा

मिला

सकल मौका खसरा..... फसली वर्ष.....

मौजा राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र..... तहसील व जिला चमोली ।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1877	69797	32	उत्त ० सरकार	बंजर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	बंजर 69797	-	-
खसरा नं० 1877 रकबा 69.797 अर्बे 8.176 हे० 20 मि चमोली-फलेकी सरगेला और गाँव के स्थान-सिकोटी नामक तोड़ से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुए अनुसूचित जाति ग्राम चबवा तक और गाँव निर्माण कार्य हेतु प्रतिभूत वृक्षारोपण वास्ते प्रस्तावित की जाते हैं (<u>प्रमाण पत्र</u>) प्रमाण पत्र दिनांक																				

ह० राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र
दिनांक:

परियोजना का नाम:-

चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्थल उपयुक्त प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत चमोली-पलेठी-सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण हेतु8.176 हे०.गा०.कु० सिकोटी सिविल भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त स्थल है।

वन क्षेत्राधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी

चमोली रेन्ज

सहायक वन प्रभार्य पोपस्थ

उपवन संरक्षक,

जिलाधीन वन अधिकारी

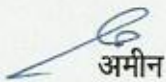
बटोनाथ वन भा।

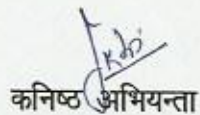
बापेश्वर (चमोली)

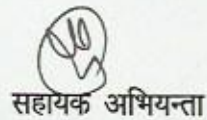
परियोजना का नाम :- चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

दुगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु 4.088 हे० वन भूमि के प्रत्यावर्तन के एवज में समान अवनत वन क्षेत्र अर्थात् 8.176 हे० में देय क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि वन विभाग को उनकी मांग के अनुसार लो०नि०वि० द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशाली अभियन्ता
प्रा० ख० लो०नि०वि०,
गोपेश्वर

रिक्त पड़े स्थान पर वृक्षारोपण प्राक्कलन

कार्य का नाम :- चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

स्थल का नाम	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित हेक्टेयर से किमी.	प्रस्तावित रोपण कार्य का विवरण	दर प्रति किमी. लाख में	धनराशि (लाख में)
1	2	3	4	5
चमोली-पलेठी-सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग	3.92	पौधे का मूल्य - 100 पौधे रोपण कार्य, ग्री गार्ड का डुलान मूल्य एवं तीन वर्षों तक अनुरक्षण	2.00	7.84

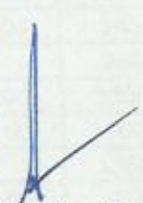

 वन क्षेत्राधिकारी
 चमोली रेंज
 बर्दीनाथ वन प्रभाग-गोपेश्वर


 अध्यापक
 बर्दीनाथ वन प्रभाग-गोपेश्वर

परियोजना का नाम :- चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण योजना का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मार्ग के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु वॉछित धनराशि वन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।


अधिरासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेस्वर

प्रभावित होने वाले वृक्षों की मूल्य सूची,

54

पेड़ों की सूची

सिकोटी तोक से ग्राम गोलिंग, पोल, रोपा होते हुए अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक 8.00

किमी० लम्बाई x 6.00 मी० चौड़ाई मोटर मार्ग में प्रभावित वृक्षों की मूल्य सूची

क्र० सं०	क्षेत्र का नाम	प्रजाति व किस्म	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग	संख्या	दर	घनराशि	
	1	2	3	4	5	6	7	
1	सिविल वन गोलिम	चीड़ हरा खड़ा	<i>Pinus roxburghii</i>	10-20	7	240.00	1680.00	
				20-30	4	600.00	2400.00	
				30-40	3	2330.00	6990.00	
				40-50	2	5070.00	10140.00	
				50-60	1	8565.00	8565.00	
				Sub Total		17		29775.00
		पीपलर हरा खड़ा	<i>Populus ciliata</i>	10-20	2	160.00	320.00	
				Sub Total		2		320.00
		पदम हरा खड़ा	<i>Prunus puddum</i>	10-20	3	80.00	240.00	
				Sub Total		3		240.00
		कुकाट हरा खड़ा		0-10	24	50.00	1200.00	
				10-20	2	80.00	160.00	
				Sub Total		26		1360.00
		बाँज हरा खड़ा	<i>Quercus leucotrichophora</i>	0-10	22	50.00	1100.00	
				20-30	3	225.00	675.00	
				30-40	2	485.00	970.00	
				40-50	1	1050.00	1050.00	
				Sub Total		28		3795.00
		कठमहवा हरा खड़ा	<i>Glochidion velutinum</i>	10-20	3	80.00	240.00	
				20-30	11	160.00	1760.00	
				Sub Total		14		2000.00
		आंवला हरा खड़ा	<i>Phyllanthus emblica</i>	0-10	32	50	1600.00	
				Sub Total		32		1600.00
				Total 1		122		39090.00
2	नापखेत गोलिम	आंवला हरा खड़ा	<i>Phyllanthus emblica</i>	0-10	4	50.00	200.00	
				10-20	2	80.00	160.00	
				20-30	2	160.00	320.00	
				Sub Total		8		680.00
		कठमहवा हरा खड़ा	<i>Glochidion velutinum</i>	20-30	2	160.00	320.00	
				Sub Total		2		320.00
		पदम हरा खड़ा	<i>Prunus puddum</i>	10-20	2	80.00	160.00	
				20-30	1	160.00	160.00	
				30-40	1	390.00	390.00	
				40-50	1	630.00	630.00	
				Sub Total		5		1340.00
		मान्दरा हरा खड़ा	<i>Acer pictum</i>	20-30	1	160.00	160.00	
				40-50	2	630.00	1260.00	
				Sub Total		3		1420.00
		बेड़ू हरा खड़ा	<i>Ficus palmate</i>	20-30	3	160.00	480.00	
				Sub Total		3		480.00
		शहतूत हरा खड़ा	<i>Morus alba</i>	30-40	1	1290.00	1290.00	
				Sub Total		1		1290.00
		गेंठी हरा खड़ा	<i>Boehmeria rugulosa</i>	0-10	2	50.00	100.00	
				10-20	2	80.00	160.00	
				20-30	1	160.00	160.00	

क्र० सं०	क्षेत्र का नाम	प्रजाति व किस्म	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग	संख्या	दर	धनराशि
	1	2	3	4	5	6	7
				30-40	1	390.00	390.00
				40-50	1	630.00	630.00
			Sub Total		7		1440.00
		भीमल हरा खड़ा	Grewia oppositifolia	0-10	7	50.00	350.00
				10-20	5	80.00	400.00
				20-30	3	160.00	480.00
				30-40	1	390.00	390.00
			Sub Total		16		1620.00
		छाछरी हरा खड़ा		10-20	1	80.00	80.00
			Sub Total		1		80.00
		काफल हरा खड़ा	Myrica esculenta	20-30	1	160.00	160.00
				30-40	1	390.00	390.00
			Sub Total		2		550.00
		तिमला हरा खड़ा	Ficus roxburghii	10-20	1	80.00	80.00
			Sub Total		1		80.00
		सेमल हरा खड़ा	Bombex ceiba	0-10	4	75	300.00
				10-20	1	190.00	190.00
				20-30	1	1160.00	1160.00
				50-60	1	8550.00	8550.00
			Sub Total		7		10200.00
		सिरस हरा खड़ा	Albizia lebbek	80-90	1	1500.00	1500.00
			Sub Total		1		1500.00
		कचनार हरा खड़ा	Bauhinia veriegata	0-10	3	50.00	150.00
			Sub Total		3		150.00
		कुकाट हरा खड़ा		10-20	4	80.00	320.00
				20-30	2	160.00	320.00
				40-50	1	630.00	630.00
			Sub Total		7		1270.00
		तुन हरा खड़ा	Cedrela toona	40-50	1	4750.00	4750.00
			Sub Total		1		4750.00
			Total 2		68		27170.00
3	नापखेत ग्राम पोल	खड़ीक हरा खड़ा	Celtis australis	10-20	3	80.00	240.00
				20-30	2	160.00	320.00
				30-40	4	390.00	1560.00
			Sub Total		9		2120.00
		कुकाट हरा खड़ा		10-20	2	80.00	160.00
				20-30	1	160.00	160.00
				30-40	2	390.00	780.00
			Sub Total		5		1100.00
		तिमला हरा खड़ा	Ficus roxburghii	20-30	4	160.00	640.00
				30-40	1	390.00	390.00
				40-50	1	630.00	630.00
			Sub Total		6		1660.00
भीमल हरा खड़ा	Grewia oppositifolia	30-40	1	390.00	390.00		
	Sub Total		1		390.00		
	Total 3		21		57		
4	सिविल वन पोल	चीड़ हरा खड़ा	Pinus roxburghii	0-10	5	90.00	
				10-20	3	240.00	

क्र० सं०	क्षेत्र का नाम	प्रजाति व किस्म	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग	संख्या	दर	घनराशि
	1	2	3	4	5	6	7
				20-30	1	600.00	600.00
			Sub Total		9		1770.00
			Total 4		9		1770.00
5	नापखेत सिरवा	तुन हरा खड़ा	<i>Cedrela toona</i>	20-30	1	1160.00	1160.00
			Sub Total		1		1160.00
		बांज हरा खड़ा	<i>Quercus leucotrichophora</i>	20-30	1	225.00	225.00
			Sub Total		1		225.00
		खड़ीक हरा खड़ा	<i>Celtis australis</i>	10-20	1	80.00	80.00
				30-40	1	160.00	160.00
			Sub Total		2		240.00
		रीठा हरा खड़ा	<i>Sapindus mukorossi</i>	10-20	1	80.00	80.00
				20-30	1	160.00	160.00
			Sub Total		2		240.00
			Total 5		6		1865.00
6	वन पंचायत रोपा	उत्तीस हरा खड़ा	<i>Alnus neplensis</i>	10-20	2	160.00	320.00
				20-30	2	330.00	660.00
				40-50	3	550.00	1650.00
			Sub Total		7		2630.00
		सुरई हरा खड़ा	<i>Cupressus torulosa</i>	10-20	1	130.00	130.00
			Sub Total		1		130.00
		कुकाट हरा खड़ा		10-20	3	80.00	240.00
				20-30	2	160.00	320.00
				30-40	1	390.00	390.00
				40-50	1	630.00	630.00
			Sub Total		7		1580.00
		काफल हरा खड़ा	<i>Myrica esculenta</i>	0-10	2	50.00	100.00
				10-20	6	80.00	480.00
				20-30	4	160.00	640.00
				30-40	1	390.00	390.00
			Sub Total		13		1610.00
		खड़ीक हरा खड़ा	<i>Celtis australis</i>	20-30	3	160.00	480.00
			Sub Total		3		480.00
		रीठा हरा खड़ा	<i>Sapindus mukorossi</i>	20-30	1	160.00	160.00
				30-40	1	390.00	390.00
			Sub Total		2		550.00
		बांज हरा खड़ा	<i>Quercus leucotrichophora</i>	0-10	50	50.00	2500.00
				10-20	61	145.00	8845.00
				20-30	36	225.00	8100.00
				30-40	3	485.00	1455.00
				40-50	1	1050.00	1050.00
				50-60	1	1770.00	1770.00
			Sub Total		152		23720.00
		तिमला हरा खड़ा	<i>Ficus roxburghii</i>	20-30	1	160.00	160.00
			Sub Total		1		160.00
		तुन हरा खड़ा	<i>Cedrela toona</i>	20-30	1	1160.00	1160.00
			Sub Total		1		1160.00
		चीड़ हरा खड़ा	<i>Pinus roxburghii</i>	0-10	4	90.00	360.00

क्र० सं०	क्षेत्र का नाम	प्रजाति व किस्म	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग	संख्या	दर	धनराशि	
	1	2	3	4	5	6	7	
				10-20	2	240.00	480.00	
				20-30	1	600.00	600.00	
				30-40	1	2330.00	2330.00	
				Sub Total		8		3770.00
		मेहल हरा खड़ा	Pyrus pashia	0-10	2	50.00	100.00	
				20-30	3	160.00	480.00	
				Sub Total		5		580.00
		बुराश हरा खड़ा	Rhododendron arboreum	0-10	16	50.00	800.00	
				10-20	4	80.00	320.00	
				Sub Total		20		1120.00
		कठमहवा हरा खड़ा	Glochidion velutinum	20-30	1	160.00	160.00	
			Sub Total		1		160.00	
			Total 6		221		37650.00	
7	नापखेत ग्राम रोपा	कठमहवा हरा खड़ा	Glochidion velutinum	10-20	1	80.00	80.00	
				40-50	1	630.00	630.00	
				Sub Total		2		710.00
		भीमल हरा खड़ा	Grewia oppositifolia	0-10	4	50.00	200.00	
				20-30	2	160.00	320.00	
				Sub Total		6		520.00
		चीड़ हरा खड़ा	Pinus roxburghii	20-30	1	600.00	600.00	
				Sub Total		1		600.00
		तिमला हरा खड़ा	Ficus roxburghii	10-20	3	80.00	240.00	
				20-30	3	160.00	480.00	
				30-40	1	390.00	390.00	
				Sub Total		7		1110.00
		बाँज हरा खड़ा	Quercus leucotrichophora	0-10	3	50.00	150.00	
				10-20	9	145.00	1305.00	
				20-30	1	225.00	225.00	
				50-60	1	1770.00	1770.00	
				Sub Total		14		3450.00
				योग -	Total 7		30	
8	नापखेत ग्राम सेमड़ुग्रा	चीड़ हरा खड़ा	Pinus roxburghii	10-20	3	90.00	270.00	
				20-30	4	600.00	2400.00	
				30-40	5	2330.00	11650.00	
				40-50	2	5070.00	10140.00	
				Sub Total		14		24460.00
		भीमल हरा खड़ा	Grewia oppositifolia	0-10	23	50.00	1150.00	
				10-20	13	80.00	1040.00	
				20-30	5	160.00	800.00	
				30-40	2	390.00	780.00	
				Sub Total		43		3770.00
		तिमला हरा खड़ा	Ficus roxburghii	10-20	4	80.00	320.00	
				20-30	2	160.00	320.00	
				Sub Total		6		640.00
		बकैन हरा खड़ा	Melia azedarach	10-20	1	145.00	145.00	
				Sub Total		1		145.00
		कचनार हरा खड़ा	Bauhinia variegata	20-30	1	160.00	160.00	
				Sub Total		1		160.00

क्र० सं०	क्षेत्र का नाम	प्रजाति व किस्म	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग	संख्या	दर	धनराशि
	1	2	3	4	5	6	7
		बांज हरा खड़ा	<i>Quercus leucotrichophora</i>	0-10	21	50.00	1050.00
				10-20	14	145.00	2030.00
				20-30	15	225.00	3375.00
				30-40	5	485.00	2425.00
			Sub Total		55		8880.00
		गेंदी हरा खड़ा	<i>Boehmeria rugulosa</i>	10-20	2	80.00	160.00
				20-30	1	160.00	160.00
			Sub Total		3		320.00
		मेहल हरा खड़ा	<i>Pyrus pashia</i>	20-30	1	160.00	160
			Sub Total		1		160.00
खड़ीक हरा खड़ा	<i>Celtis australis</i>	10-20	1	80.00	80.00		
			Sub Total		1		80.00
			Total 8		125	0	38615.00
9	सिविल वन सेमडुंग्रा	चीड़ हरा खड़ा	<i>Pinus roxburghii</i>	0-10	4	50.00	200.00
				10-20	6	145.00	870.00
				20-30	13	225.00	2925.00
				30-40	2	485.00	970.00
				40-50	3	1050.00	3150.00
			Sub Total		28		8115.00
		सिरस हरा खड़ा	<i>Albizia lebbek</i>	20-30	1	160.00	160
					Sub Total		1
		बांज हरा खड़ा	<i>quercus leucotrichophora</i>	0-10	16	50.00	800.00
				10-20	5	145.00	725.00
				20-30	3	225.00	675.00
				30-40	1	485.00	485.00
			Sub Total		25		2685.00
		तिमला हरा खड़ा	<i>Ficus roxburghii</i>	10-20	1	80.00	80.00
			Sub Total		1		80.00
		मेहल हरा खड़ा	<i>Pyrus pashia</i>	10-20	1	80.00	80.00
				20-30	2	160.00	320.00
			Sub Total		3		400.00
		काफल हरा खड़ा	<i>Myrica esculenta</i>	20-30	1	160.00	160.00
			Sub Total		1		160.00
			Total 9		59		11600.00
10	सिविल वन कालीमाटी पलेठी	चीड़ हरा खड़ा	<i>Pinus roxburghii</i>	10-20	8	240.00	1920.00
				20-30	1	600.00	600.00
				30-40	2	2330.00	4660.00
			Sub Total		11		7180.00
		बांज हरा खड़ा	<i>Quercus leucotrichophora</i>	10-20	3	145.00	435.00
				20-30	1	225.00	225.00
			Sub Total		4		660.00
			Total 10		15		7840.00
11	नापखेत कालीमाटी	चीड़ हरा खड़ा	<i>Pinus roxburghii</i>	10-20	4	240.00	960.00
				20-30	3	600.00	1800.00
			Sub Total		7		2760.00
		बांज हरा खड़ा	<i>Quercus leucotrichophora</i>	0-10	4	50.00	200.00
				10-20	6	145.00	870.00

क्र० सं०	क्षेत्र का नाम	प्रजाति व किस्म	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग	संख्या	दर	धनराशि
	1	2	3	4	5	6	7
				20-30	12	225.00	2700.00
				30-40	1	485.00	485.00
				40-50	1	1050.00	1050.00
			Sub Total		24		5305.00
		भीमल हरा खड़ा	<i>Grewia oppositifolia</i>	0-10	5	50.00	250.00
				10-20	14	80.00	1120.00
				20-30	5	160.00	800.00
				30-40	1	390.00	390.00
			Sub Total		25		2560.00
		तिमला हरा खड़ा	<i>Ficus roxburghii</i>	0-10	5	50.00	250.00
				10-20	4	80.00	320.00
				20-30	1	160.00	160.00
				30-40	1	390.00	390.00
			Sub Total		11		1120.00
		खड़ीक हरा खड़ा	<i>Celtis australis</i>	30-40	1	390.00	390.00
			Sub Total		1		390.00
		तुन हरा खड़ा	<i>Cedrela toona</i>	80-90	1	20150.00	20150.00
			Sub Total		1		20150.00
		सेमल हरा खड़ा	<i>Bombex ceiba</i>	20-30	1	1160.00	1160.00
			Sub Total		1		1160.00
		आंवला हरा खड़ा	<i>Phyllanthus emblica</i>	20-30	1	160.00	160.00
			Sub Total		1		160.00
		छांछरी हरा खड़ा		20-30	1	160.00	160.00
			Sub Total		1		160.00
		कठमहवा हरा खड़ा	<i>Glochidion velutinum</i>	40-50	1	630.00	630.00
			Sub Total		1		630.00
		काफल हरा खड़ा	<i>Myrica esculenta</i>	20-30	2	160.00	320.00
			Sub Total		2		320.00
			Total 11		75		34715.00
12	वन पंचायत मैठाणा	चीड़ हरा खड़ा	<i>Pinus roxburghii</i>	10-20	3	240.00	720.00
				20-30	10	600.00	6000.00
				30-40	4	2330.00	9320.00
				40-50	1	5070.00	5070.00
			Sub Total		18		21110.00
		बांज हरा खड़ा	<i>Quercus leucotrichophora</i>	10-20	7	145.00	1015.00
				20-30	1	225.00	225.00
			Sub Total		8		1240.00
			Total 12		26		22350.00
			G. Total		777		234325.00

Add 6% Increase Rate of 01 October 2014

14059.50

248384.50

248385.00

वन क्षेत्राधिकारी
पीपलकोटी रेंज
गोपेश्वर

बद्रोनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर (चमोली)

वन क्षेत्राधिकारी
चमोली रेंज
बद्रोनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

पटवारी

अमीन
तहसीलदार

बद्रोनाथ वन प्रभाग

तहसीलदार
(सदर)
चमोली

बद्रोनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर

अधिकांसी अधिवक्ता
ग्रामीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

वृक्षों का सारांश बांज प्रजाति

कार्य का नाम :- चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

क्रम सं०	भूमि का प्रकार	पेड़ों की प्रजाति	व्यासवार वर्ग विवरण										
			0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90->	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ग्राम गोलिम	बांज	22	-	3	2	1	-	-	-	-	-	28
2	ग्राम सिरवा	बांज	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
3	वन पंचायत रोपा	बांज	50	61	36	3	1	1	-	-	-	-	152
4	ग्राम रोपा	बांज	3	9	1	-	-	1	-	-	-	-	14
5	ग्राम सेमडुंग्रा		37	19	18	6	-	-	-	-	-	-	80
6	ग्राम कालीमाटी		-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	4
7	नाप कालीमाटी		4	6	12	1	1	-	-	-	-	-	24
8	वन पंचायत		-	7	1	-	-	-	-	-	-	-	8
	महायोग -		116	105	73	12	3	2	0	0	0	0	311


 वनक्षेत्राधिकारी
 वन क्षेत्राधिकारी
 पीपलकोटी रेंज
 बड़ोनाथ गोपेश्वर

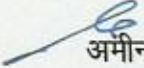

 वन संरक्षक
 वन संरक्षक
 बड़ोनाथ वन भाग
 बाराबर (चमोली)

न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

चमोली-पलेठी-सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत चमोली-पलेठी-सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशाली अभियन्ता
प्रां० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर


वन क्षेत्राधिकारी
पीपलवाली वन
बड़ीनाथगोपेश्वर

MUCK DISPOSAL EXCERISISE INDEX

- 1- Construction of motor road from Chamoli-Palethi-Sartoli motor road at place Sikoti Tok to Village Golim Pol- Roopa and SC village Chalthar. Under State Sector.
- 2- Details of Muck Disposal Yards with Land Owner Annexure II

Annexure -I

Name of Work :-

Construction of motor road from Chamoli-Palethi-Sartoli motor road a place Sikoti Tok to Village Golim Pol- Roopa and SC village Chalthan Under State Sector.

Sl. No.	Item	No.	L	B	H	Quantity	Unit
1	Material received from hill side cutting taking 80% of total quantity						
		(1x1/2x8000x7x3)x80%				67200.00	Cum
2	Swell Factor	Taking 40% of total quantity				26880.00	Cum
		Total Muck -				94080.00	Cum
DISPOSAL AND USE OF MATERIALS							
1	R.R. stone masonry 1:6	1x180	15.00	(0.60+1.27)/2	2.00	5049.00	Cum
2	R.R. stone masonry laid in Dry	1x180	20.00	(0.60+1.27)/2	2.00	6732.00	Cum
3	H.P. stone filling	1x180x1/3	20.00	(1+.5)/2	1.50	1350.00	Cum
4	P/L of wire creat wall	1x 50	3.00	1.50	1.50	675.00	Cum
5	C/O parapets	1x320	3.00	0.60	0.45	243.00	Cum
6	Granular sub base/base/surface	1x1	5700.00	3.75	0.10	74812.50	Cum
		Total Used Materials :-				88861.50	Cum
	Material Disposal by Cartage in Dumping Yard					5218.50	Cum
LOCATION AND QUANTITY OF DEBRIES DISPOSAL							
Sl. No.	Location of dumping yard	Size of dumping yard	Type of land	capacity of dumping yard	Unit		
1		40x6x3.50	Civil Land	840.00	cum		
2		40x6x3.50	Civil Land	840.00			
3		40x6x3.50	Civil Land	840.00			
4		40x6x3.50	Civil Land	840.00			
5		40x6x3.50	Civil Land	840.00			
6		40x6x3.50	Civil Land	840.00			
7		40x6x3.50	Civil Land	840.00			
			Total-	5880.00	Cum		
SUMMARY OF DABRIES (MUCK) DISPOSAL							
Sl. No.	Total Dabries	Material diposed by Cartege	Reused materials (road construction)	Total Disposal in Dumping Zone	Balance Dabries		
1	94080.00	5218.50	88861.50	5218.50	0.00		

Details of Muck Disposal Yards with Land Owner Detail

Sl. No.	Chainage	Name of Land Owner & Village	Land in Hec.	Land in Sqm	Land area being used for dumping yard (sum)	Longitude	Latitude
1		Uttarakhand Govt. Land	0.300	3000.00	240.00	79°19'39.35" E	30°23'24.63" N
			0.300				
2		Uttarakhand Govt. Land	0.275	2750.00	240.00	79°19'40.79" E	30°23'2.41" N
			0.275				
3		Uttarakhand Govt. Land	0.321	3210.00	240.00	79°19'56.51" E	30°22'48.77" N
			0.321				
4		Uttarakhand Govt. Land	0.176	1760.00	240.00	79°20'39.31" E	30°22'32.30" N
			0.176				
5		Uttarakhand Govt. Land	0.243	2430.00	240.00	79°20'41.91" E	30°22'23" N
			0.243				
6		Uttarakhand Govt. Land	0.314	3140.00	240.00	79°20'32.42" E	30°22'25.78" N
			0.314				
7		Uttarakhand Govt. Land	0.145	1450.00	240.00	79°20'6.60" E	30°22'15.59" N
			0.145				
		Grand Totla-	1.774	17740.00	1680.00		
				or	<u>0.168</u>	<u>Hec.</u>	

(5)

राज योजनान्तर्गत चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान
सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित
जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण

मक डिस्पोजल हेतु वनीकरण एवं अभियांत्रिकी कार्यों में जो भी व्यय होगा, उसे लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग की मांग के अनुसार उपलब्ध करा दिया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड, लो.नि.वि.,
गोपेश्वर



सहायक अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड, लो.नि.वि.,
गोपेश्वर



अधिशाली अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड, लो.नि.वि.,
गोपेश्वर

कार्य का नाम :- चमोली-पलेठी मोटर मार्ग के सिंकोरी नामक स्थान से गोलेम रोण होते हुए
अनुसूचित ग्राम चलयर तक मो० मार्ग का निर्माण ल० ८.०० किमी०,
मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित स्थल



स्थल संख्या-०१ किमी० १ X-Sec ०/३

Coordinates - $79^{\circ}19'39.35''E$ $30^{\circ}23'24.63''N$



AE

स्थल संख्या-०२ किमी०-०२ X-Sec १/१

$79^{\circ}19'40.79''E$ $30^{\circ}23'2.41''N$

"Coordinates of Muck Disposal"

JE

मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित स्थल



Cordinates
 $79^{\circ}19'56.51''E$
 $30^{\circ}22'48.77''N$

स्थल संरक्षा - 03 किमी० 3 X-Sec 32-243



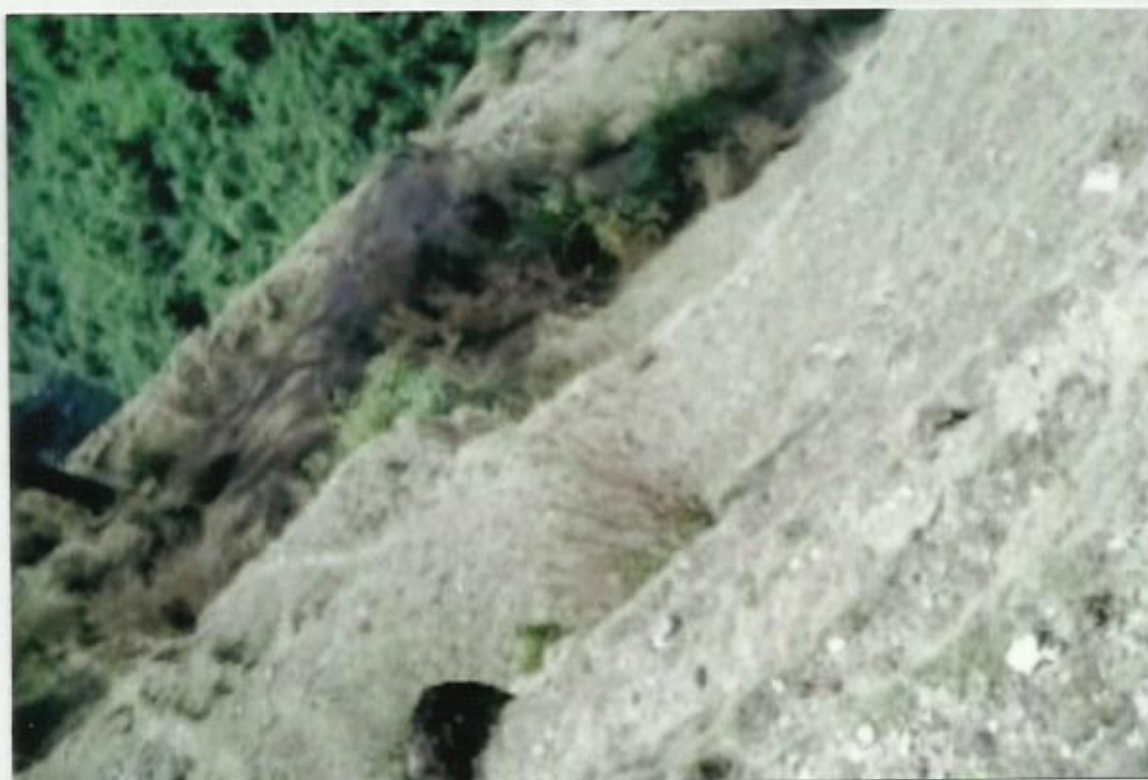
Cordinates
 $79^{\circ}20'39.31''E$
 $30^{\circ}22'32.30''N$

 AE

स्थल सं०
 4 किमी० 4
 X-Sec 3/20
 - 3/25

जे.ए.
 0-8

मक डिस्पोजल ट्रेल प्रस्तावित स्थल



स्थल संख्या-05 किमी०-05 X-sec 4/38-4/39

Coordinates - 79°20'41.91"E 30°22'23"N



Coordinates

79°20'32.42 E

30°22'25.78 N

 AE

स्थल संख्या-06 किमी०-06 X-sec 5/11-5/12


J.K.S.
G.E.

संयोजक, जिला
जनकपुर, नेपाल

મક ડિસ્પોઝલ હેલુ પ્રસ્તાવિત સ્થળ



Cordinates

79°20'6.60"E

30°22'15.59"N

સ્થળ સંખ્યા-07 કિમી-8 X-sec 7/11-7/15

[Signature]
O.E.

[Signature] AE

અધિકારી અધિકાર
રાષ્ટ્રીય ખણ્ડ લોક નિર્માણ વિ
ગાંધીનગર

मक डिस्पोजल के सापेक्ष वृक्षारोपण

परियोजना का नाम— राज्य योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में ~~मोती रोपण क्षेत्र~~ मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन

वृक्षारोपण स्थल का नाम— मक डिस्पोजल हेतु चिन्हित प्लान के अनुसार क्षेत्रफल

रोपित किये जाने वाले पौधों की सं. (कुल क्षेत्रफल X 2000 पौधे) = 336

प्रथम चरण

क्र.सं.	कार्य का नाम	मात्रा	यूनिट	दर रु में	योग
1	सर्वे एवं सीमांकन	0.168	hect	78.00	13.10
2	स्थल सफाई कार्य	0.168	hect	2543.00	427.22
3	कुली दीवार बन्दी कार्य / फनिसंग (150 मी./हे. = 81 घन मी. / 172 घन मी.)	0.168	hect	15309.00	2571.91
4	गडढा खुदान (0.30X 0.30X 0.45) रेखांकन चूना सहित	336.00	Gaddha	5.420	1821.12
5	डी.ए.पी. खाद की लागत (25 ग्राम प्रति गडढा)	8.40	kg	19.00	159.60
6	निरीक्षण बटिया बनाना (400 रु प्रति हे.)	0.17	hect	624.00	104.83
7	पौधे की कीमत प्रथम वर्ष	336.00	podhe	4.30	1444.80
8	भूमि संरक्षण एवं जल संरक्षण कार्य (10 हे.) के आधार पर मानते हुए				0.00
	1 वानस्पतिक/स्टोन चैकडैम 8 ₹ 4588 = 36700.00				0.00
	2 वाटर हावेस्टिंग टैंक (3 X2.50X1.00) 5X 5140 = 25700.00				0.00
	योग = 62400.00	0.168	hect	62400.00	10483.20
	योग प्रथम चरण—				17025.79

द्वितीय चरण—

1	झाड़ी कटान (लेन्टाना गाजर घास/ काला बांस)	0.168	hect	1287.00	216.22
2	गडढा भरान (0.30X 0.30X 0.45) रेखांकन चूना सहित	336.000	Gaddha	0.97	325.92
3	पौधा ढुलान कार्य	336.000	podhe	6.00	2016.00
4	पौधा रोपण व थाला बन्दी	336.000	podhe	1.89	635.04
5	पौधे की प्रथम निराई गुड़ाई एवं मलचिंग कार्य	336.000	podhe	1.29	433.44
6	पौधे की द्वितीय निराई गुड़ाई एवं मलचिंग कार्य	336.000	podhe	1.11	372.96
7	पौधे की कीमत द्वितीय वर्ष	336.000	podhe	1.20	403.20
8	प्रथम वर्ष में देख रेख व रखरखाव पर व्यय (कम से कम 9 माह)	0.168	hect	468/hect/month	707.62
9	अन्य कार्य	0.168	hect	310.00	52.08
	योग द्वितीय चरण—				5162.47

तृतीय चरण 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति (बीटिंग अप) प्रति हे.

1	पौधे की लागत	336.00	podhe	5.50	1848.00
2	पौधा ढुलान कार्य	336.00	podhe	6.00	2016.00
3	पुन गडढा खोदना एवं रोपण कार्य	336.00	podhe	3.20	1075.20
4	गडढों में गोबर खाद डालना लागत सहित	336.00	podhe	1.31	440.16
5	पौधों की शीतकालीन मलचिंग	336.00	podhe	1.11	372.96
6	वनीकरण चौकीदार 12 माह	0.168	hect	468/hect/month	943.49
7	अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य	0.168	hect	310.00	52.08
	योग तृतीय चरण				6747.89

चतुर्थ चरण (रखरखाव कार्य)

1	वनीकरण चौकीदार 12 माह	0.168	hect	468/hect/month	943.49
2	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य	0.168	hect	310.00	52.08
	योग चतुर्थ चरण				995.57
पंचम चरण (रखरखाव कार्य)					
1	वनीकरण चौकीदार 12 माह	0.168	hect	468/hect/month	943.49
2	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य	0.168	hect	310.00	52.08
	योग पंचम चरण				995.57
छठवा चरण (रखरखाव कार्य)					
1	वनीकरण चौकीदार 12 माह	0.168	hect	468/hect/month	943.49
2	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य	0.168	hect	310.00	52.08
	योग छठवां चरण				995.57
सातवा चरण (रखरखाव कार्य)					
1	वनीकरण चौकीदार 12 माह	0.168	hect	468/hect/month	943.49
2	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य	0.168	hect	310.00	52.08
	योग सातवां चरण				995.57
आठवा चरण (रखरखाव कार्य)					
1	वनीकरण चौकीदार 12 माह	0.168	hect	468/hect/month	943.49
2	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य	0.168	hect	310.00	52.08
	योग आठवां चरण				995.57
नौवां चरण (रखरखाव कार्य)					
1	वनीकरण चौकीदार 12 माह	0.168	hect	468/hect/month	943.49
2	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य	0.168	hect	310.00	52.08
	योग नौवां चरण				995.57
दसवां चरण (रखरखाव कार्य)					
1	वनीकरण चौकीदार 12 माह	0.168	hect	468/hect/month	943.49
2	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य	0.168	hect	310.00	52.08
	योग दसवां चरण				995.57
कुल धनराशि				प्रथम चरण	17025.79
				द्वितीय चरण	5162.47
				तृतीय चरण	6747.89
				चतुर्थ चरण	995.57
				पंचम चरण	995.57
				छठवां चरण	995.57
				सातवां चरण	995.57
				आठवां चरण	995.57
				नवम चरण	995.57
				दसवां चरण	995.57
				कूल योग	35905.13
				say	35905.00

वन क्षेत्राधिकारी
चम्पली रेंज
वनीकरण वन प्रभाग-गोपेस्वर

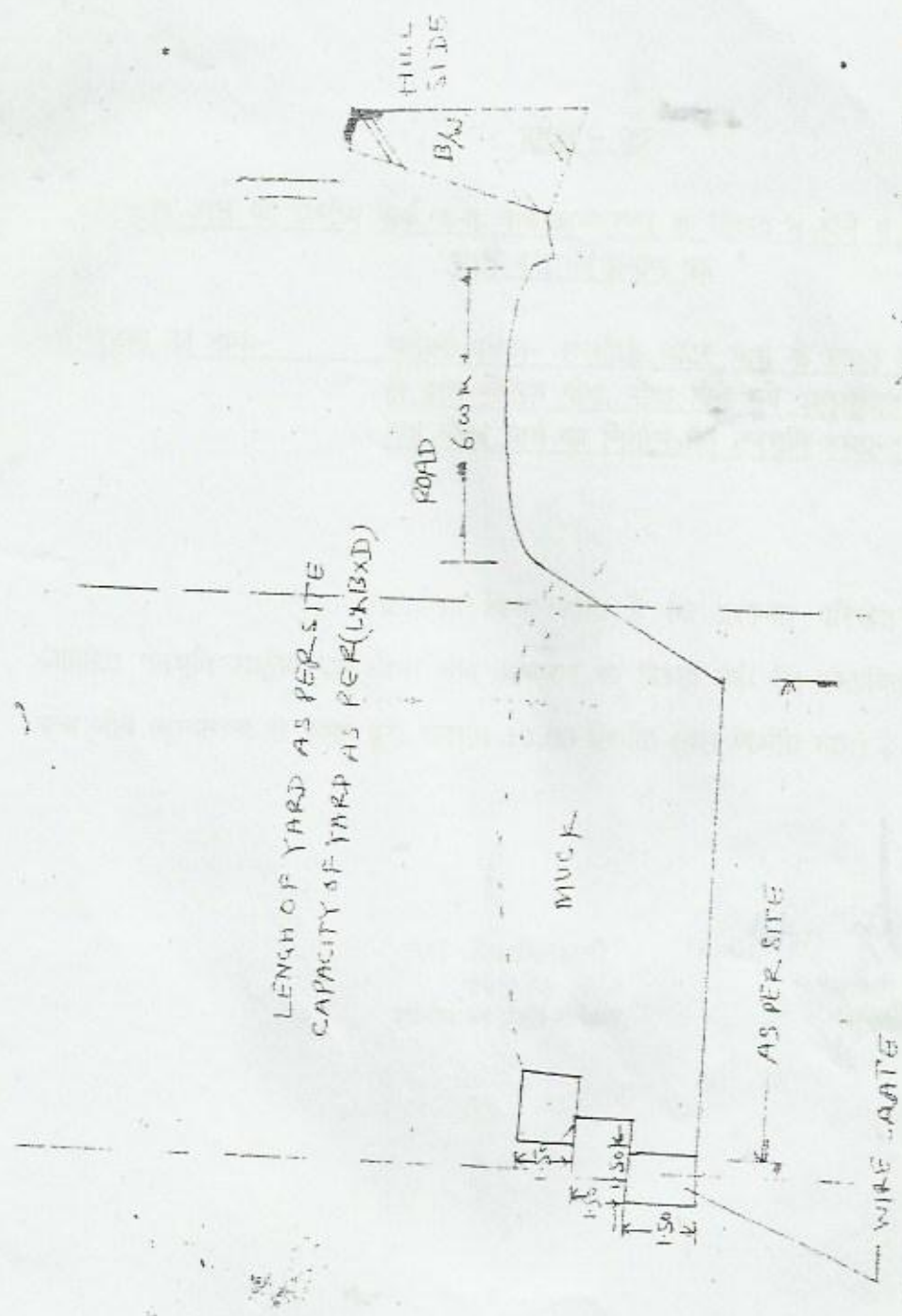
वनीकरण क्षेत्राधिकारी
बटोनाथ वन प्रभाग
गोपेस्वर (प्रभाग)

कार्यकानामः:- अनपद चामोली से बहेरधार से बहेरगाव तक मोटर मार्ग का निर्माण

सहायक, ललितपुरा

प्रा० खण्ड नि० वि०
गोपेश्वर

अधिरासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण वि०
संयोजक



TYPICAL SECTION OF MUCK DISPOSAL YARD

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण वि०
संयोजक

अधिरासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण वि०
संयोजक

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण वि०
संयोजक

अधिरासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण वि०
संयोजक

प्रारूप - 25

परियोजना स्थल की राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने व प्रस्तावित स्थल की हवाई दूरी का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम:- चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक टोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यरण का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावित सड़क योजना की वन्य जीव अभ्यारण्य से हवाई दूरी लगभग 10.00 किमी० (दस किमी० मात्र) है।

वन क्षेत्राधिकारी
चमोली रेंज
बड़ीनाथ वन प्रभाग-गोपेश्वर

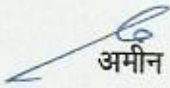
प्रभारी वन अधिकारी
ब. न. थ. वन प्रभाग
प्रभारी वन अधिकारी

वन्य जीव/राष्ट्रीय पार्क से सम्बन्धित प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत चमोली-पलेठी-सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.92 हे० सिविल वनभूमि, राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव बिहार का हिस्सा नहीं है।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिसासी अभियन्ता
प्रा० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

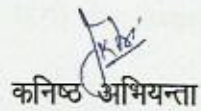
वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण पत्र

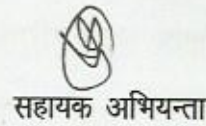
परियोजना का नाम :-

चमोली-पलेठी-सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

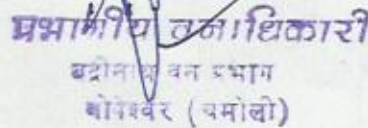
प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत चमोली-पलेठी-सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग मोटर मार्ग निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।


अमीन


कनिष्ठा अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिकांशी अभियन्ता
प्रां० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर


प्रभागीय तकाधिकारी
बटोना वन विभाग
गोपेश्वर (चमोली)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत चमोली-पलेठी-सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग मोटर मार्ग निर्माण जनहित का निर्माण है। इस निर्माण कार्य के सम्बन्ध में ग्राम वासियों की आम सभा हुई। आम सभा में निर्णय लिया गया कि इस निर्माण पर पड़ने वाली नाप भूमि/सिविल/आरक्षित भूमि आदि किसी प्रकार की भूमि में मोटर मार्ग निर्माण में इस ग्राम सभा को कोई आपत्ति नहीं है। मोटर मार्ग का निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ करने हेतु विभाग से अनुरोध किया जाता है।

प्रधान



कार्य प्रारम्भ न करने का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

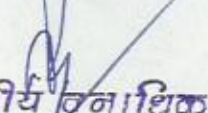
प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत चमोली-पलेठी-सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग मोटर मार्ग निर्माण में कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। वन भूमि हस्तान्तरण होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशासी अभियन्ता
प्रां० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर


प्रभालीय वन अधिकारी
बट्टोनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर (चमोली)

78

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
जिला टास्क फोर्स, चमोली एवं रुद्रप्रयाग, मुख्यालय गोपेश्वर

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक: 397 / जि0टा0फो0 / मोटर मार्ग / 2014-15,

दिनांक 28 जनवरी 2015

विषय: जनपद व तहसील चमोली, विकासखण्ड दशोली में राज्य योजना के अन्तर्गत चमोली-पलेठी-सरतोली मोटर मार्ग के सिरकार कि0मी0 4.000 से ग्राम गोलिम, पोल, रोपा होते हुए अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक (8.000 कि0मी0) मोटर मार्ग समरेखण स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर के पत्र संख्या 239/1 सी0, दिनांक 02.12.2014, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स चमोली/रुद्रप्रयाग (अतिरिक्त प्रभार) को सम्बोधित है तथा जिसके द्वारा उपरोक्त समरेखण स्थल की भूगर्भीय सर्वेक्षण आख्या की अपेक्षा की गयी है, के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त मोटर मार्ग समरेखण स्थल का भूगर्भीय सर्वेक्षण सम्पन्न कर सर्वेक्षण आख्या आपके सुलभ संदर्भार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

सहायक भूवैज्ञानिक/
प्रभारी अधिकारी।

पृष्ठांक : / जि0टा0फो0 / मोटर मार्ग / 2014-15 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी महोदय, चमोली।
2. संयुक्त निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

सहायक भूवैज्ञानिक/
प्रभारी अधिकारी।

चमोली-पलेठी-सरतोली मोटर मार्ग के सिरकार कि०मी० 4.000 से ग्राम गोलिम, पोल, रोपा होते हुए अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक (8.000 कि०मी०) मोटर मार्ग समरेखण स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या

सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर के पत्र संख्या 239/1 सी०, दिनांक 02.12.2014, जो कि भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स चमोली/रूद्रप्रयाग (अतिरिक्त प्रभार) को सम्बोधित है तथा जिसके द्वारा जनपद व तहसील चमोली, विकासखण्ड दशोली में राज्य योजना के अन्तर्गत चमोली-पलेठी-सरतोली मोटर मार्ग के सिरकार कि०मी० 4.000 से ग्राम गोलिम, पोल, रोपा होते हुए अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक (8.000 कि०मी०) मोटर मार्ग समरेखण स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या की अपेक्षा की गयी है, के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री प्रदीप नेगी, कनिष्ठ अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर की उपस्थिति में उपरोक्त समरेखण स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण सम्पन्न किया गया। भूगर्भीय निरीक्षण आख्या निम्नवत है :-

प्रश्नगत मोटर मार्ग समरेखण चमोली-लांसी-सरतोली मोटर मार्ग के लगभग 4.000 कि०मी० स्टोन से नीचे/दक्षिणपूरब से प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। जिस पर ग्राम गोलिम, पोल, रोपा व चलथर आदि अवस्थित हैं तथा जिसकी औसत लम्बाई 8.000 कि०मी० व औसत ग्रेडिएंट 1:20 प्रस्तावित है। उक्त समरेखण दक्षिणपश्चिम व दक्षिणपूरब फेसिंग के पहाड़ी ढालों पर निर्माण हेतु प्रस्तावित है। सम्पूर्ण समरेखण स्थल का सामान्य पहाड़ी ढाल 25° - 60° के मध्य है तथा समरेखण में पहाड़ी ढाल पर मलवे की गहराईयुक्त परत कतिपय स्थलों पर ओवरवर्डन के रूप में विद्यमान है। कुछ स्थानों में मोटर मार्ग समरेखण सीढ़ीनुमा खेतों से होकर गुजर रहा है। समरेखण के कतिपय स्थलों पर वृक्ष, झाड़ियाँ तथा स्थानीय घास विद्यमान हैं। स्थल पर हल्की भूरी व स्लेटी रंग की मृदा विद्यमान है।

मोटर मार्ग समरेखण स्थल भूगर्भीय साहित्य में गढ़वाल समूह की चट्टानों में वर्गीकृत किया गया है। समरेखण स्थल के कतिपय स्थलों पर फिलाइट, शिष्ट, क्वार्ट्जिटिक व क्रिस्टलाइन प्रकृति की स्वस्थाने चट्टानें विद्यमान हैं। उक्त चट्टानें कतिपय स्थलों पर कठोर, स्थूलकाय व कतिपय स्थलों पर हाईली क्रस्ट व वैदर्ब प्रकृति की दृष्टिगोचर होती हैं। मोटर मार्ग समरेखण में कतिपय पहाड़ी ढालों पर चट्टानों की नति व पहाड़ी ढाल एक ही दिशा की ओर विद्यमान है जो कि एक विपरीत परिस्थिति है एवं मोटर मार्ग कटाव के पश्चात् उक्त स्थानों पर भूधसांव होने की सम्भावना दृष्टिगत होती है अतः उक्त हेतु सिविल अभियन्ता द्वारा आवश्यक सुरक्षात्मक मैहजर्स के साथ उपाय किये जाने आवश्यक होंगे।

कि०मी० 0.000 से कि०मी० 3.000 के मध्य समरेखण :

उक्त के मध्य समरेखण पहाड़ी ढालयुक्त व सीढ़ीनुमा खेतों के मध्य से होकर गुजर रहा है जिसमें अपस्लोप व डाउनस्लोप पर ग्रामीणों के आवासीय भवन अवस्थित हैं। उक्त के मध्य कतिपय स्थलों पर यूनिफॉर्म धसांव पाया गया व प्रारम्भ में चट्टानें हाईली क्रस्ट प्रकृति की, सतह पर दृष्टिगोचर हो रही हैं। उक्त के मध्य ग्राम गोलिम व पोल अवस्थित हैं। स्वस्थाने चट्टानें व पहाड़ी ढाल एक ही दिशा में अवस्थित हैं जिसमें कटाव के पश्चात् अपस्लोपों में धसांव की सम्भावना हो सकती है। अतः उक्त हेतु

Photo Copy Attached

प्रमुख अभियन्ता
लो० व० नि० वि०
गोपेश्वर

A

होगा। उक्त के मध्य पोल नाला प्रवाहित होता है जिस पर पुल अथवा पुलिया का प्राविधान किया जाय।

कि०मी० 3.000 से कि०मी० 8.000 के मध्य समरेखण :

उक्त के मध्य मोटर मार्ग समरेखण तीव्रता के पहाड़ी ढाल व मृदा बाहुल्य क्षेत्रों एवं सीढ़ीनुमा कृषियुक्त खेतों के मध्य से होकर गुजर रहा है। चट्टानी भूभाग में समरेखण को गुजारने के लिए विस्फोटकों का प्रयोग परमिसिविल लिमिट तक किया जाय अन्यथा चट्टानों में व्याप्त दरारों में त्वरित फिसलन होने से भूस्खलन क्षेत्र जनित हो सकते हैं। उक्त के मध्य मोटर मार्ग के अपस्लोप व डाउनस्लोप में हाई टेन्शन विद्युत लाईन के पोल अवस्थित हैं। जिनकी सुरक्षा हेतु आवश्यक मैहजर्स के साथ मोटर मार्ग कटाव कार्य किया जाना आवश्यक होगा।

विचारणीय बिन्दु :

उक्त मोटर मार्ग समरेखण के अपस्लोप में चमोली-पलेठी-सरतोली मोटर मार्ग व डाउनस्लोप में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-58 पूर्व से निर्मित हैं। वर्तमान में उक्त के मध्य अवस्थित ग्रामों को जोड़ने हेतु दोनों मार्ग विद्यमान हैं एवं अनियोजित ढंग से पहाड़ी ढालों के कटाव से कतिपय स्थल अस्थिर हो सकते हैं।

समरेखण स्थल को मोटर मार्ग हेतु विकसित करने के लिए निम्न सुझाव एवं शर्तें आवश्यक होंगी :-

1. समरेखण स्थल वन भूमि होने की दशा में माननीय उच्चतम न्यायालय के वन संरक्षण अधिनियम-1980 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 में निहित सम्पूर्ण प्राविधानों के अनुरूप वन विभाग से समुचित अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।
2. उक्त मोटर मार्ग का निर्माण कार्य सुरक्षित भूकम्पीय गुणांकों के अनुसार एवं अद्यतन नवविकसित भूकम्परोधी तकनीक के साथ किया जाना आवश्यक होगा।
3. समरेखण में बनाये जाने वाली सुरक्षा दीवारों/टो वाल, ब्रेसवाल व रिटेनिंग वाल (वीप हॉल सहित) के आधार को सुरक्षा प्रदान करने हेतु स्थलों में जल निकासी की व्यवस्था इस प्रकार की जाय कि जल, दीवार के आधार की ओर न जाने पाय तथा ढालदार क्षेत्र के सतही एवं अन्तर सतही जल को चैनलाइज करने हेतु उचित प्रबन्ध किये जायें।
4. पर्वतीय क्षेत्रों में मोटर मार्ग समरेखण निर्माण हेतु प्रस्तावित सिविल भूअभियांत्रिकी के अन्य मानकों एवं विशिष्टियों का पालन किया जाय।
5. मार्ग समरेखण निर्माण यथासम्भव हाफ कट-हाफ फिल तकनीकी द्वारा किया जाय व फिल मटिरियल को अच्छी तरह कॉम्पैक्ट किया जाय।
6. उक्त समरेखण के अपस्लोप व डाउनस्लोप में अवस्थित भवनों की सुरक्षा हेतु मोटर मार्ग कटाव के शीघ्र पश्चात् आवश्यक सुरक्षात्मक प्रबन्ध किये जाने आवश्यक होंगे।

Photo Copy Attested

बहुमन्त्रालय
22/04/2020 को. वि. कि.
चौधरी

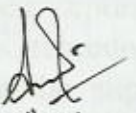
✓

7. मोटर मार्ग समरेखण कटाव से उत्सर्जित मलवा, पहाड़ी ढालों पर न फैलाकर किसी सुरक्षित स्थल पर बिछाया/एकत्रित किया जाय ताकि भविष्य में मड फ्लो व भूस्खलन/भूधसांव से बचा जा सके।
8. मोटर मार्ग समरेखण के सतही जल प्रवाह को सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित ढंग से नियन्त्रित कर कौजवे स्कपर व सुरक्षित स्थल/नालों में छोड़ा जाय।
9. समरेखण कटाव के पश्चात् सुरक्षा धारक दीवार/रिटेनिंग/ब्रेसवाल (वीप हॉल सहित) का निर्माण किया जाना आवश्यक होगा।
10. मोटर मार्ग समरेखण स्थलों पर रिटेनिंग वाल व ब्रेसवाल (वीप हॉल सहित) का आधार दृढ़ व कठोर ताजा (फ्रेश) चट्टानों में रखना आवश्यक होगा।
11. मोटर मार्ग समरेखण स्थलों पर मार्ग कटाव के पश्चात् सम्भावित भूस्खलन/भूधसांव को रोकने हेतु आवश्यक एवं उचित सिविल भूअभियांत्रिकी तकनीक का प्रयोग किया जाय।
12. मोटर मार्ग समरेखण के निर्माण में ऐसे स्थानों पर जहाँ पर पहाड़ी का ढलान अधिक है, भूस्खलन की सम्भावना को न्यून करने हेतु एंगिल ऑफ रिपोज को दृष्टिगत रखते हुए सीढ़ीनुमा सोपान युक्त प्रतिधारक दीवार (वीप हॉल सहित) तथा सतही जल की निकासी हेतु चैनल का निर्माण कराया जाना आवश्यक होगा।
13. मोटर मार्ग समरेखण के कि०मी० 5.000-8.000 के मध्य 06 हेयरपिन बैण्ड्स का प्राविधान किया गया है जिसमें एच०पी० बैण्ड्स के स्थायित्व के लिए आवश्यक सिविल भूअभियांत्रिकी मैहजर्स का उपयोग किया जाय।
14. समरेखण स्थल को मोटर मार्ग हेतु विकसित करने के लिए विस्फोटकों का प्रयोग वर्जनीय अथवा परमिसिविल लिमिट तक किया जाना उचित होगा अन्यथा चट्टानों में व्याप्त दरारों एवं जोड़ों के खुलने के कारण चट्टानों के ब्लॉक्स को त्वरित गति प्रदान होगी।

प्रस्तावित मोटर मार्ग समरेखण स्थल पर एकत्रित किए गये सतही आंकड़ों, भूआकृति, भूप्रकृति एवं भूगर्भीय संरचना के दृष्टिकोण से उपरोक्त विचारणीय बिन्दु, सुझाव एवं शर्तों के समाकलन के साथ प्राकृतिक आपदाओं को छोड़कर मोटर मार्ग समरेखण स्थल वर्तमान परिस्थितियों में मोटर मार्ग निर्माण हेतु उपयुक्त प्रतीत होता है।

Photo Copy Attested.

 सहायक जलियन्त्र
 डा० ड० सी० नि० डि०
 पोस्टमन


 (अमित गौरव)
 सहायक भूवैज्ञानिक

Task Force Certificate

- (i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.
- (ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
- (iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
- (iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

A part from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

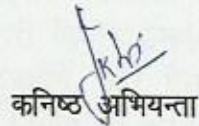
- (i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
- (ii) (ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in rock. Use of delay detonators in large scale blasting work is to be made for anaoline dispersion of shock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.
- (iii) (iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen much treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made
- (v) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culvers, breast walls, retaining and the walls are provided for purposes of establishing the slips Growth vegetative cover is stimulated in the disturbed hill slopes above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In certain selected unstable areas terraced afforestation has also been plasticized as a stabilizing measure with good results.

- (vi) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tackling land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and other engaged in construction of hill roads these should be observed.

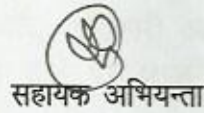
प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की उपरोक्त संस्तुतियाँ याचक विभाग को मान्य हैं।



अमीन



कनिष्ठ अभियन्ता



सहायक अभियन्ता



अधिशाली अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

मानक शर्तें

(वन अनुभाग -3, उ0प्र0 शासन की पत्र संख्या 7314/14-3-980/82 दिनांक 31-12-1984 द्वारा निर्धारित)

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भांति रक्षित/आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी ।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जावेगा, अन्य प्रयोजन हेतु कदाति नहीं ।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा ।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाये कि मांगी गयी भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है
5. हस्तांतरी विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचावेंगे, और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा ।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख-रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की देखभाल करेगा
7. हस्तांतरित वन भूमि पर विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तांतरी विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी ।
8. बहुमूल्य वन संपदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तांतरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाये। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन संपदा की क्षतिपूर्ति एवं वन्य जन्तुओं के स्वच्छंद विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तांतरित की जायेगी ।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों/पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी ।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग, संस्था या व्यक्ति बिना किसी प्रकार के प्रतिकर भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी । वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि (Automatic) स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जायेगी ।
11. सड़क निर्माण में प्रस्तावों पर प्लानिंगमेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लो0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता लो0नि0वि0 के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्वतीय क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी. दिनांक 10.02.82 में निहित आदेशों का पालन भी लो0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा कि अश्व मार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को मामूली फेरबदल कर पक्का करना होगा बशर्ते ऐसा याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होगा और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है ।

12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धि प्रमाण पत्र के आधार पर आकलित होगा, जो याचक विभाग को मान्य होगा ।

13. वन भूमि में खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उत्तरांचल वन विकास निगम अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उनका पातन करना आवश्यक हो, तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।

14. हस्तान्तरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ों का रोपण तथा तीन वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाय, का भुगतान वन विभाग को करना होगा । 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन निषिद्ध है । इसी प्रकार बांज (OAK) के पेड़ों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।

15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या खम्भों को ऊंचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है , जो न्यूनतम पेड़ों की संख्या सुयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी। जिस पर सम्बन्धित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक होगा।

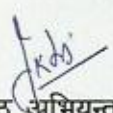
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-क्षरण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पटरियों को पक्का कराना आवश्यक समझा जाता है, तो ऐसा याचक विभाग अपने व्यय से स्वयं करायेगा।

17. उपरिलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगायी जाती हैं, तो वे याचक विभाग को मान्य होगी ।

18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उक्त शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाये ।

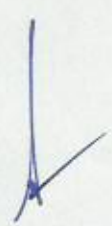
उपरोक्त शर्तें लोक निर्माण विभाग को मान्य हैं ।

 अर्जुन

 कनिष्ठा अभियन्ता



सहायक अभियन्ता

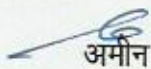
 अधिशासी अभियन्ता
प्रां० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

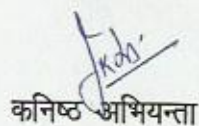
भूगर्भवेत्ता द्वारा दिये गये सुझावों के अनुपालन सम्बन्धित प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत चमोली-पलेठी-सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग मोटर मार्ग निर्माण के दौरान भूगर्भवेत्ता द्वारा अपने निरीक्षण टिप्पणी में दिये गये सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता

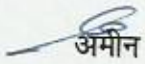

अधिसासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

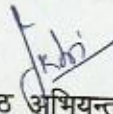
योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक लोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की सभी शर्तें याचक विभाग को पूर्ण रूप से मान्य है।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिसासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

मकान पेड़ आदि का प्रमाण पत्र

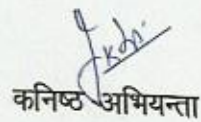
परियोजना का नाम :-

चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

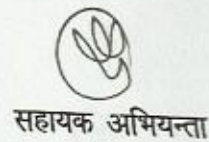
प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत चमोली-पलेठी-सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग निर्माण में पड़ने वाली भूमि के अन्दर कोई भी मकान, मंदिर, कब्रस्थान, मस्जिद आदि नहीं पड़ते है।



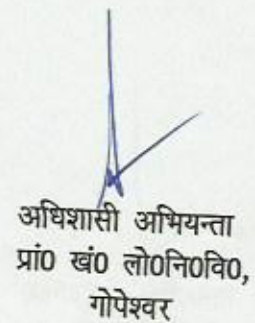
अमीन



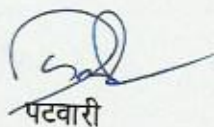
कनिष्ठ अभियन्ता



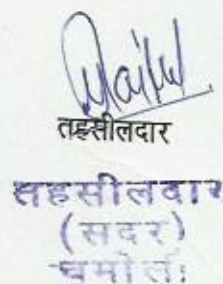
सहायक अभियन्ता



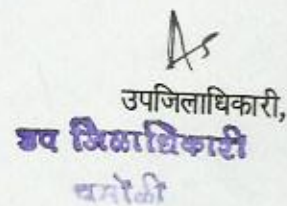
अधिसासी अभियन्ता
प्रां० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर



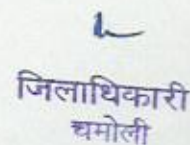
पटवारी



तहसीलदार
सहसिलदार
(सदर)
चमोली



उपजिलाधिकारी,
अप जिलाधिकारी
चमोली

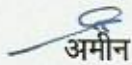


जिलाधिकारी
चमोली

परियोजना का नाम :- चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख-रखाव के दौरान लो0नि0वि0 द्वारा वन्य जीव/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता

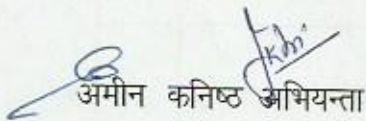

अधिसासी अभियन्ता
प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर

परियोजना का नाम:-

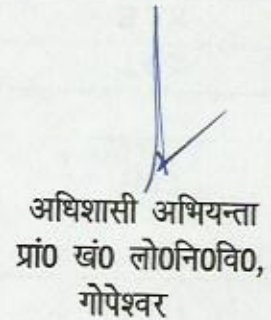
चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कैरोसिन आयल/वैकल्पिक ईंधन का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत चमोली-पलेठी-सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग मोटर मार्ग निर्माण कार्य के समय विभागीय ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को कैरोसिन आयलन/वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध करा दिया जायेगा।


अमीन कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिसासी अभियन्ता
प्रां० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

लाभान्वित होने वाले ग्रामों की सूची एवं परिवारों की संख्या का प्रमाण पत्र

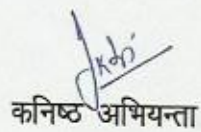
परियोजना का नाम :-

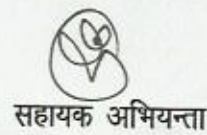
चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत चमोली-पलेठी-सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग मोटर मार्ग निर्माण के पूरी लम्बाई में निर्माण हो जाने से से निम्न ग्राम/आबादी प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे

क्रम सं०	ग्राम का नाम	परिवारों की संख्या	2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
1.	गोलिम	68	272
2.	रोपा चलथर	93	372
3.	सेमडुंग्रा	42	167
	योग :-	203	811


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता

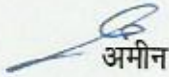

अधिशासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

एन.पी.वी. प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत चमोली-पलेठी-सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि की स्वीकृति मिलने पर एन.पी.वी. की धनराशि यदि मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा भविष्य में एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में वृद्धि की जाती है, तो लोक निर्माण विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप बड़ी हुई एन0पी0वी0 धनराशि का भुगतान वनविभाग को किया जायेगा।



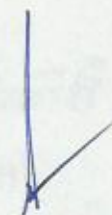
अमीन



कनिष्ठ अभियन्ता



सहायक अभियन्ता



अधिशासी अभियन्ता
प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर

एन.पी.वी./ईको क्लास प्रमाण पत्र
(मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार)

परियोजना का नाम :-

चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत चमोली-पलेठी-सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग मोटर मार्ग निर्माण हेतु पड़ने वाली वनभूमि ईको क्लासVI..... तथा डेंस फारेस्ट (१:६) के अन्तर्गत आता है, जिसका एन०पी०वी० का मूल्य ४.०६८ हे० x रु० १,११,०००..... की दर से ६८४०५१२०४=००

प्रमाणित किया गया अधिकारी
संतोनाथ वन प्रभाग
बोरेबगर (चमोली)

सीमांकन प्राक्कलन

६५

कार्य का नाम :- चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

स्थल का नाम	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित हेक्टेयर से किमी.	प्रस्तावित रोपण कार्य का विवरण	दर प्रति किमी. लाख में	धनराशि (लाख में)
1	2	3	4	5
चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग	आर०सी०आर० पिलर (मुनारा) बनाना, 1:6 सीमेंट मय प्लास्टर करना, दो कोट चूना सफेदी	3.92	1164	93127

प्रशासकीय अधिकारी

अधीनस्थ वन प्रभाग

गोपबंदर (चमोली)

वन सहायक अधिकारी

अधीनस्थ वन प्रभाग-गोपबंदर

चमोली रेंज

परियोजना का नाम:-

चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सीमा पिलरों पर होने वाले व्यय का प्रमाण पत्र

जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत चमोली-पलेठी-सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य के समय सीमा पिलरों पर होने वाले व्यय को इस विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।

 अमीन कनिष्ठा अभियन्ता

 सहायक अभियन्ता

 अधिशासी अभियन्ता
प्रा० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

परियोजना का नाम :-

चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि का विवरण

क्रम सं०	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	वृक्षारोपण हेतु लिया गया क्षेत्रफल (हे० में)
	मुल्त, चक्रे	10775	8.16
	सम्पूर्ण योग :-	10775	8.16 हेक्टेयर

अमीन कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिशाली अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

राष्ट्र उषा
चमोली / डिकला

तहसीलदार
(सदर)
चमोली

अप त्रिभुजिकादी
चमोली

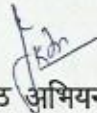
चैक लिस्ट का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत चमोली-पलेठी-सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में चैक लिस्ट के अनुरूप समस्त सूचनायें संलग्न की गई हैं।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

फैक्ट सीट

- 1 कार्य का नाम :- चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव
- 2 प्रस्तावत भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (हे.) :-

आरक्षित वन भूमि -	-
सिविल एवं सोयम वनभूमि -	3.920
वन पंचायत वन भूमि -	-
निजी भूमि -	1.540
योग -	5.460
- 3 प्रस्तावक विभाग का नाम :- प्रां.खण्ड, लो.नि.वि., गोपेश्वर
- 4 वन प्रभाग का नाम :- बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर
- 5 प्रस्ताव बाइंडिंग किया गया है - हाँ/नहीं
- 6 प्रस्ताव में विषय सूची भरी गयी है - हाँ/नहीं
- 7 क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग 1,2 व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गयी है - हाँ/नहीं
- 8 क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है - हाँ/नहीं
- 9 प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है - हाँ
- 10 प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या सूची/प्रमाण पत्र संलग्न है - हाँ/नहीं
- 11 बांज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है - हाँ/नहीं
- 12 प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है - हाँ
- 13 समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है - हाँ/नहीं
- 14 क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली घनत्व सही है - हाँ/नहीं
- 15 क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है - हाँ/नहीं
- 16 क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है - हाँ/नहीं
- 17 प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर/परियोजना के आसपास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है - हाँ/नहीं
- 18 क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है - हाँ/नहीं ✓

- 19 प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है -
यदि हां तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संलग्न है - हां/नहीं ✓
- 20 क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है - ✓हां/नहीं
- 21 प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है - (यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाता है तो पूर्व में जारी भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें) हां/नहीं ✓
- 22 क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-2 रंगों से भरा है - हां/नहीं ✓
- 23 यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है - हां/नहीं ✓
- 24 क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षक) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है - नहीं ✓
- 25 यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुये दोषी अधिकारियों / कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय। —
- 26 सड़क निर्माण हेतु तलाशी गयी अन्य सम्भावनायें/वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं - हां/नहीं ✓
- 27 वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय) हां/नहीं ✓
- 28 लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है - हां/नहीं ✓
(5 हे. से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा)
- 29 मानचित्र व बार चार्ट में एकरूपता है - हां/नहीं ✓
- 30 मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है - हां/नहीं ✓
अथवा
मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न है - हां/नहीं ✓
- 31 राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न हैं - हां/नहीं ✓
- 32 क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियां मूल में संलग्न है, यदि छाया प्रतियां संलग्न की गयी हैं तो क्या वे सत्यापित हैं - हां/नहीं ✓
- 33 यदि वनभूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न है - हां/नहीं ✓
- 34 वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है - हां/नहीं ✓
- 35 क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है - हां/नहीं ✓
- 36 क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण पत्रा संलग्न हैं - हां/नहीं ✓

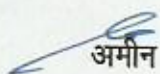
प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैंक्ट सीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण पत्र/सूचनायें संलग्न कर दी गई हैं

अन्य वैकल्पिक संरेखण प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि चमोली-पलेठी-सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग मोटर मार्ग निर्माण हेतु दो विकल्पों पर विचार किया गया, किन्तु प्रस्तावित संरेखण उपयुक्त है। इस संरेखण से अधिक से अधिक ग्राम लाभान्वित हो रहे हैं तथा कम से कम वन सम्पदा का नुकसान हो रहा है। भू-गर्भवित्ता द्वारा भी प्रस्तावित संरेखण को उपयुक्त बताया गया है।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता

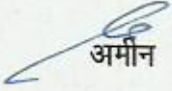

अधिशाली अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

स्थल विशिष्ट होने/न होने का प्रमाण पत्र

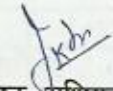
परियोजना का नाम :-

चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली में दशोली विकास खण्ड के अन्तर्गत यह मार्ग पर्यटन की दृष्टि से विशिष्ट स्थल नहीं है।



अमीन



कनिष्ठ अभियन्ता



सहायक अभियन्ता



अधिशाली अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

खसरे की नकल

कार्य का नाम :- चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

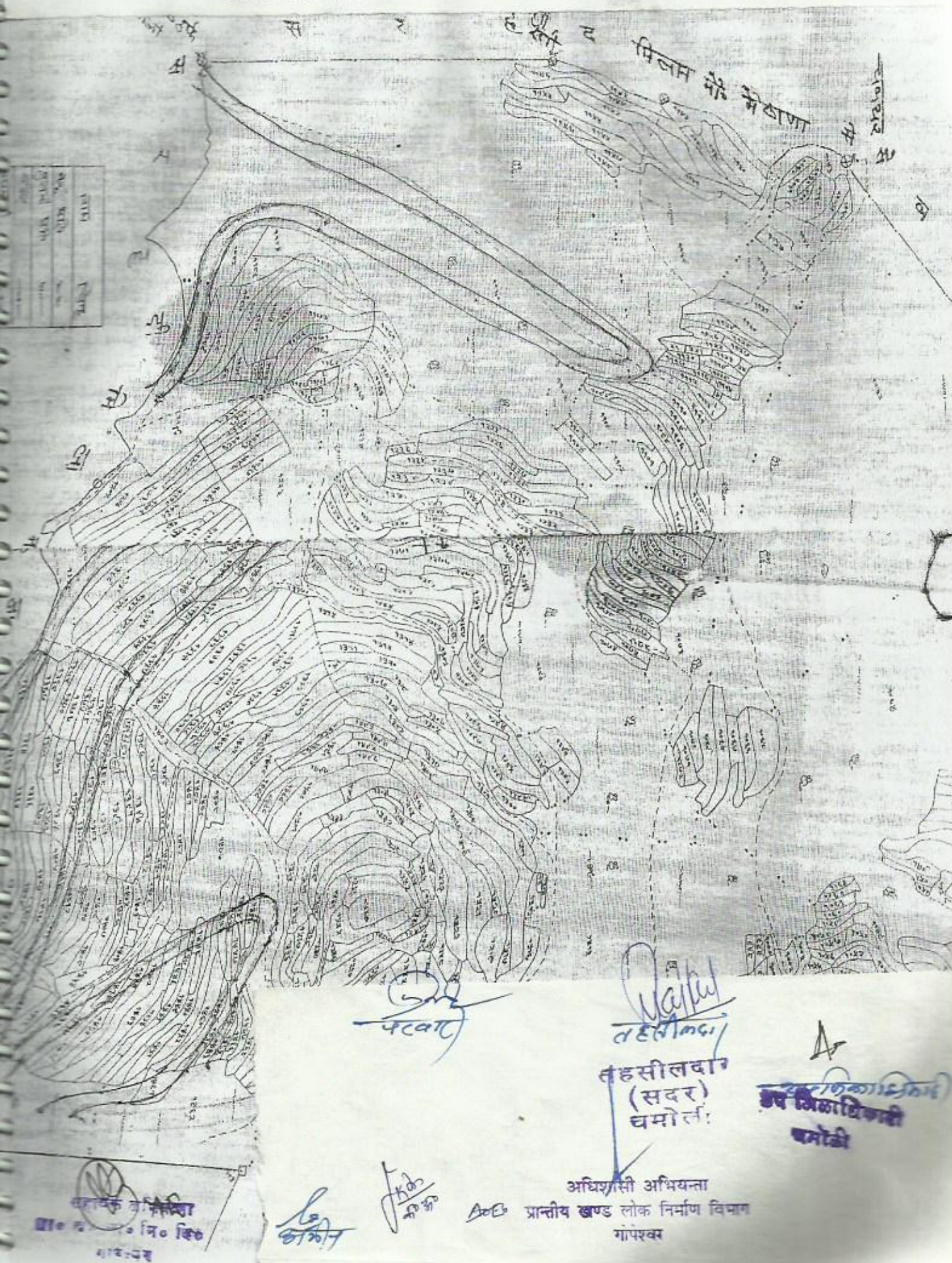
क्रम सं०	खसरा नम्बर	कुल रकवा हे० में	खाता नम्बर	नाम भूमिधर	लिया गया रकवा हे०	भूमि किस्म	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<u>ग्राम रांगतोली (सिविल) :-</u>						
	3046 म०	0.210	12	उत्तराखण्ड सरकार	0.100	गौचर	
	125 म०	0.158	6	उत्तराखण्ड सरकार	0.052	बंजर	
	214 म०	6.809	5	उत्तराखण्ड सरकार	0.560	चारागाह	
	526 म०	3.030	12	उत्तराखण्ड सरकार	0.017	भीटा	
	531 म०	6.760	12	उत्तराखण्ड सरकार	0.175	गौचर	
2	<u>ग्राम हरमनी (सिविल) :-</u>						
	1428 म०	0.044	12	उत्तराखण्ड सरकार	0.035	चारागाह	
	1519 म०	1.835	12	उत्तराखण्ड सरकार	0.105	चारागाह	
	1539 म०	0.322	17	उत्तराखण्ड सरकार	0.070	रास्ता	
	1823 म०	0.266	17	उत्तराखण्ड सरकार	0.0350	रास्ता	
	2181 म०	4.834	12	उत्तराखण्ड सरकार	0.430	चारागाह	
3	<u>ग्राम नब्बा लग्गा मजोटी (सिविल) :-</u>			उत्तराखण्ड सरकार			
	539 म०	3.009	24	उत्तराखण्ड सरकार	0.285	चारागाह	
	844 म०	4.457	24	उत्तराखण्ड सरकार	0.140	चारागाह	
4	<u>ग्राम रोपा (सिविल) :-</u>						
	125 म०	12.750	6	उत्तराखण्ड सरकार	0.560	बंजर	
	164 म०	0.230	6	उत्तराखण्ड सरकार	0.200	बंजर	
	963 म०	3.706	6	उत्तराखण्ड सरकार	0.260	बंजर	
5	<u>ग्राम मैठाणा (सिविल) :-</u>						
	2672 म०	0.026	32	उत्तराखण्ड सरकार	0.017	बंजर	
	2747 म०	2.007	32	उत्तराखण्ड सरकार	0.315	बंजर	
6	<u>ग्राम पलेठी (सिविल) :-</u>						
	824 म०	0.381	29	उत्तराखण्ड सरकार	0.192	गौचर	
7	<u>ग्राम सेमडगरा (सिविल) :-</u>						
	1160 म०	2.565	7	उत्तराखण्ड सरकार	0.285	जंगल	
	1348 म०	0.249	11	उत्तराखण्ड सरकार	0.087	बंजर	
						गौचर	
		53.648		योग :-	3.920		

षटवारी
 तहसीलदार
 (सदर)
 चमोली
 कनिष्ठ अभियन्ता
 सहायक अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता
 प्रा० ख० लो० नि० वि०,
 गोपेश्वर

कार्य का नाम :-

चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।



पटवार्

तहसीलदार
(सदर)
चमोली

अधिकारी
चमोली

अधिसूची अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

आयुक्त चमोली
आ. नं. ०००/०००
आ. नं. ०००

आयुक्त
चमोली

22

विमान भर सेवा 3

विमान की सेवा 2

There is a copy of the document in

अधिकांश अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

सहस्रीलवार
(सदर)
चमोले

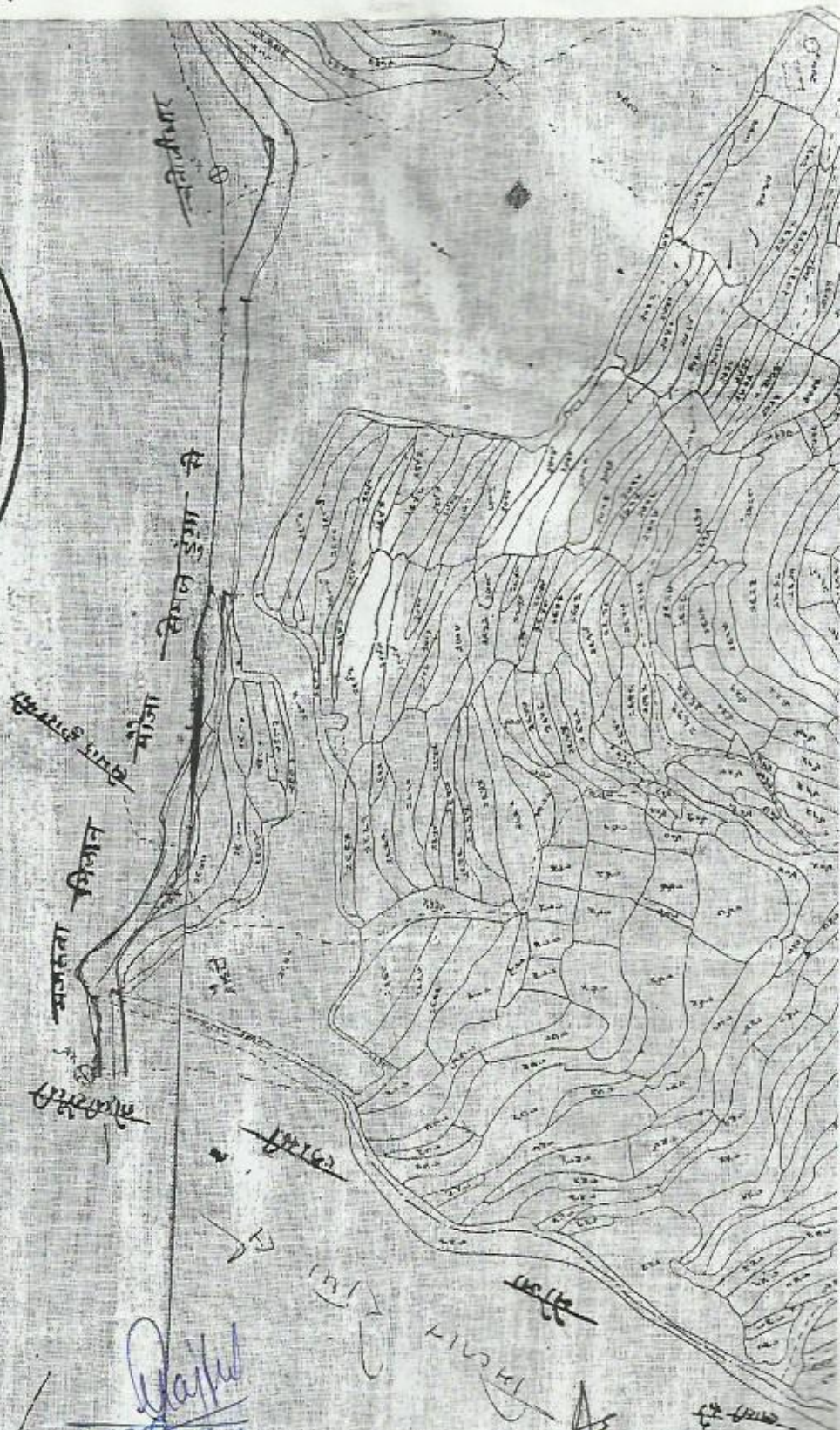
HE

5/2/90

कार्य का नाम :-

चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

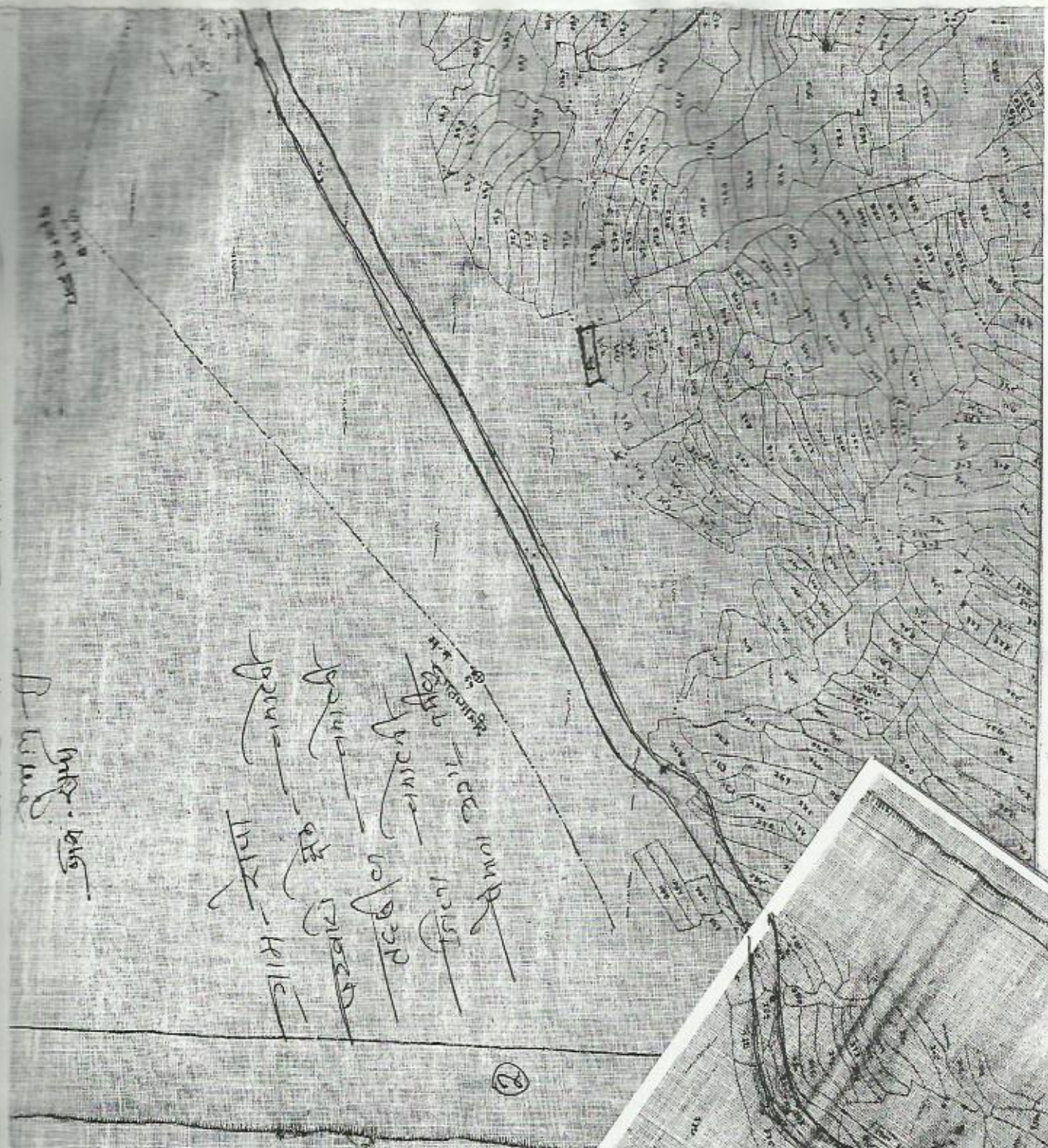
8548 म/के भु/ह
 78-5476 ए/ह
 भु/ह = 1186 ए/ह
गोलिम पोल
 1/10/12 2/10/12
 1/10/12 1/10/12
 1/10/12 1/10/12
 1/10/12 1/10/12
 1/10/12 1/10/12
 1/10/12 1/10/12
 1/10/12 1/10/12
 1/10/12 1/10/12
 1/10/12 1/10/12



परवारी
 मेहराबाय
 अधिकारी अभियन्ता
 प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
 रायपुर

कार्य का नाम :-

चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।



पंचायत

सहस्रीलवार
(सदर)
चमोली

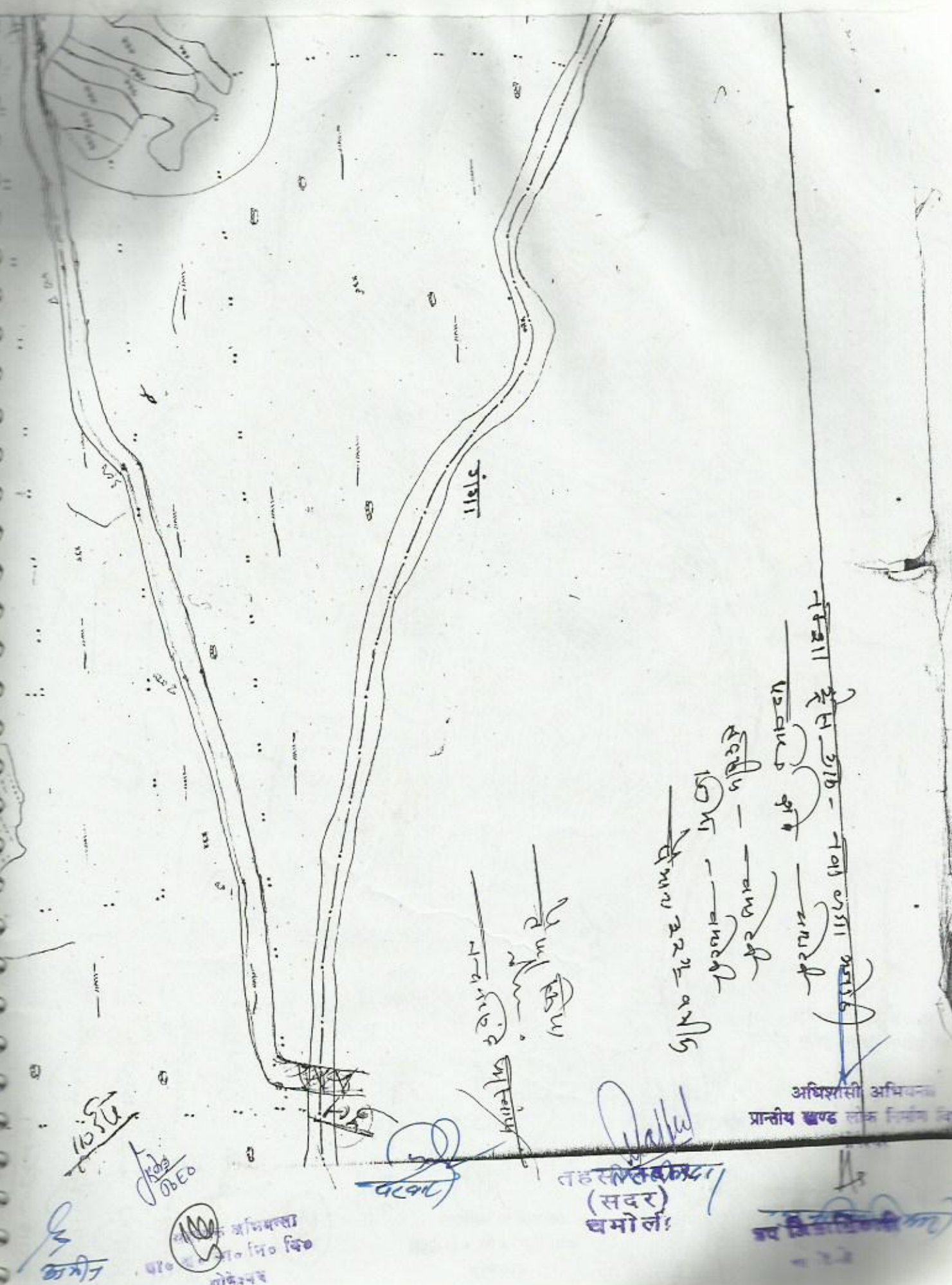
आर
पंचायत समिति
पिन को. नं. १००
बोदेरवद

अधिकाधिकारी
चमोली

अधिकाधिकारी अभियाना
प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपबद

कार्य का नाम :-

चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

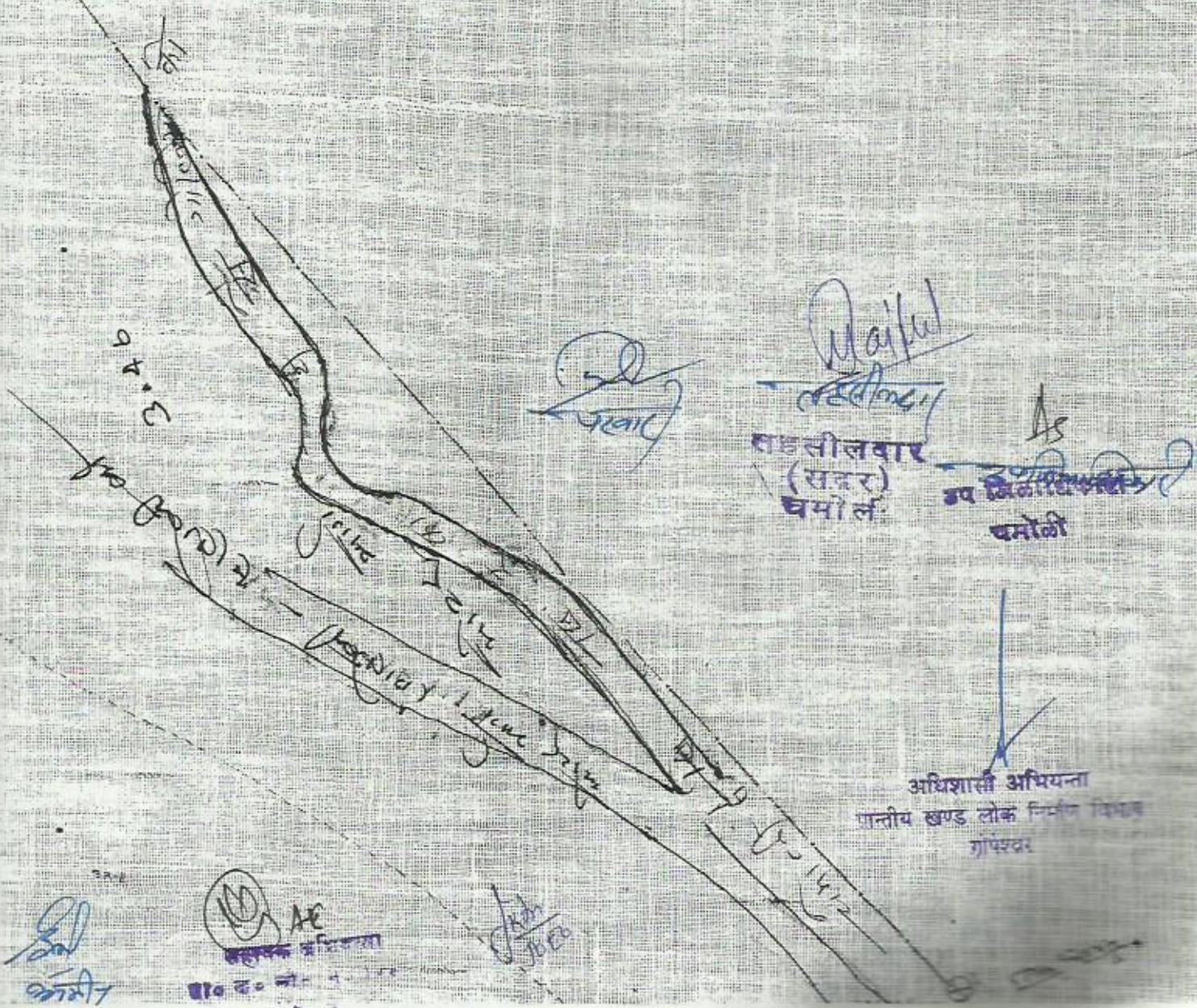


कार्य का नाम :-

चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक टोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

5/11/08
मार्ग

30



राष्ट्रीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
चमोली

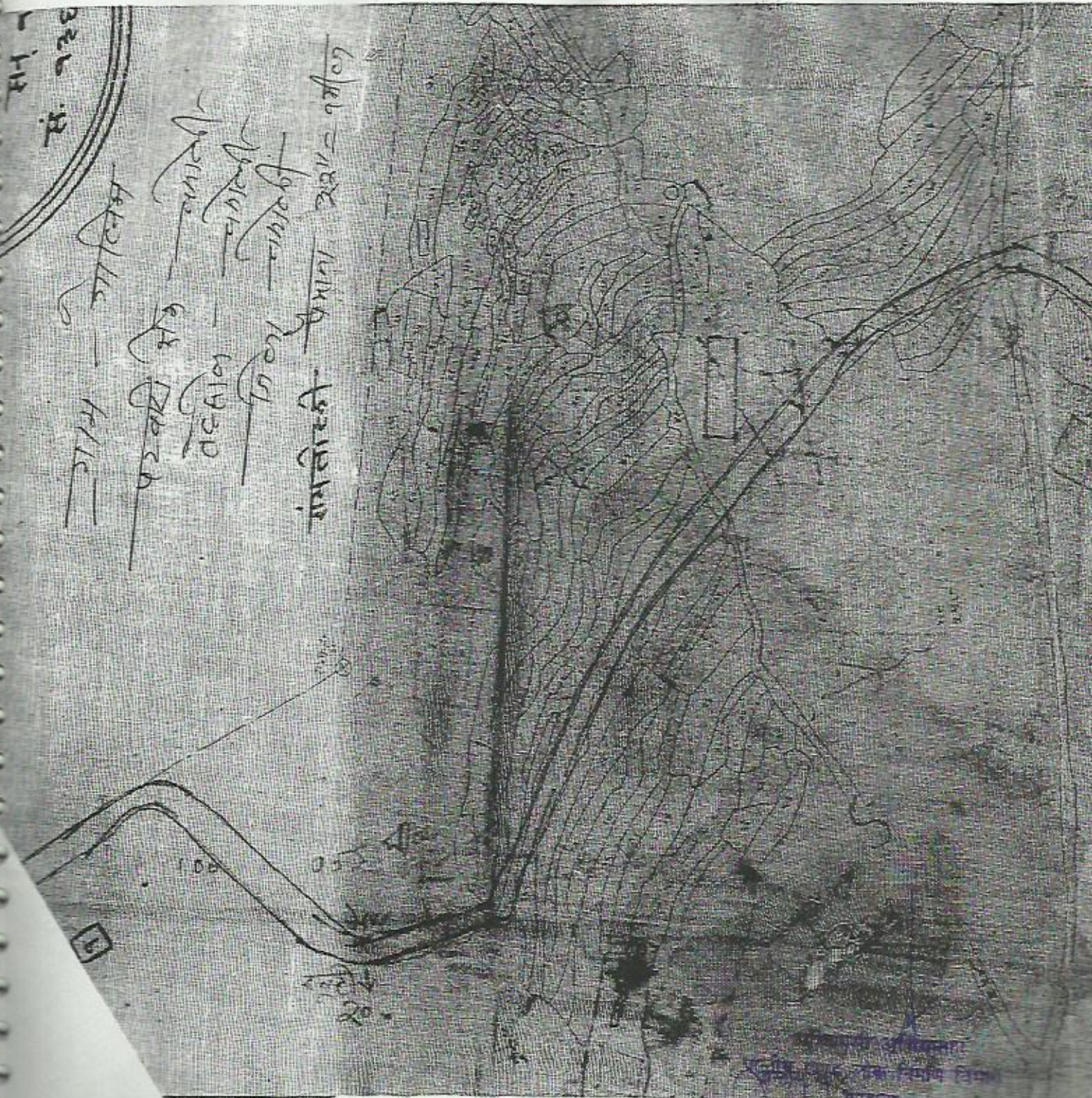
अधीशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोविन्द

10/11/08
अधीशासी अभियन्ता

अधीशासी अभियन्ता

कार्य का नाम :-

चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।



सं. १२६

सं. १२६

सं. १२६

सं. १२६

सं. १२६

सं. १२६

कार्य का नाम :-

चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

नमनोदित जलपान



अधिरासी अधिसूचना
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोरखपुर

1/10/20

AE

अध्यक्ष अधिसूचना
1/10/20 का. वि. वि.
गोरखपुर

चलथर

तहसीलदार
(सदर)
चमोली

अधिसूचना
चमोली

परियोजना का नाम :- चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि 8.176 हेक्टेयर सिविल भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जो स्थल चयन किया गया है, वह उपयुक्त है।

वनक्षेत्राधिकारी

वन क्षत्राधिकारी
चमोली रेंज
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

2

उप वन संरक्षक
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर

उपवन संरक्षक

प्रमाणित करता हूँ

बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर (चमोली)

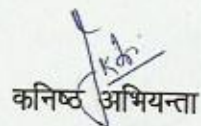
वन भूमि के मूल्य का प्रमाण पत्र

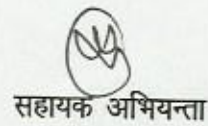
परियोजना का नाम :-

चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत चमोली-पलेठी-सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.92 हेक्टेयर सिविल वनभूमि की आवश्यकता है, इस भूमि की लागत ₹ 5,88,000/- प्रति नाली की दर से कुल रु 11,64,24,000/- निर्धारित है।

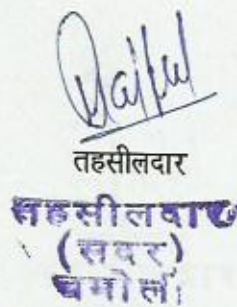

अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता

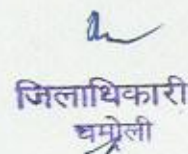

सहायक अभियन्ता


अधिशासी अभियन्ता
प्रां० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर


पटवारी


तहसीलदार
तहसीलदार
(सदर)
चमोली


उपजिलाधिकारी,
उप जिलाधिकारी
चमोली

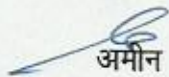

जिलाधिकारी
चमोली

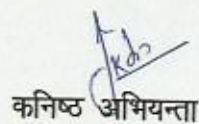
गैर वानिकी एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

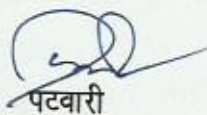
प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत चमोली-पलेठी-सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.92 हे० सिविल वनभूमि की क्षति पूर्ति वृक्षारोपण लोक निर्माण विभाग के व्यय से अवनत वन भूमि के दुगने क्षेत्र में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण करा दिया जायेगा, तथा जो भी धनराशि वृक्षारोपण के लिये निर्धारित की जायेगी, लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध करा दिया जायेगा।

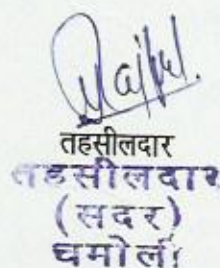

अमीन

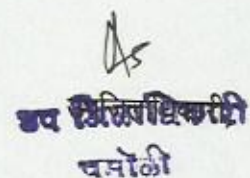

कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर


पटवारी


तहसीलदार
तहसीलदार
(सदर)
चमोली

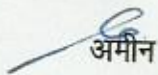

जय प्रियदर्शिका
चमोली

शर्त सहमति प्रमाण पत्र

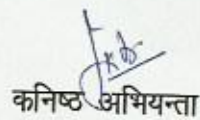
परियोजना का नाम :-

चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

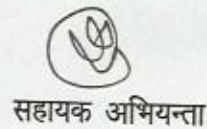
प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत चमोली-पलेठी-सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग मोटर मार्ग निर्माण हेतु ली गयी सिविल वन भूमि हस्तांतरण हेतु भारत सरकार, राज्य सरकार व वन विभाग द्वारा लगाई गयी सम्पूर्ण शर्तें लोक निर्माण विभाग को मान्य हैं।



अमीन



कनिष्ठ अभियन्ता



सहायक अभियन्ता



अधिशायी अभियन्ता
प्रा० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

भूमि सम्बन्धित प्रमाण पत्र

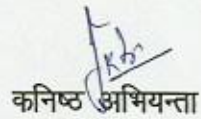
परियोजना का नाम :-

चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत चमोली-पलेठी-सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्ताव में दर्शायी गयी भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई भूमि नहीं पड़ती है। वांछित वन भूमि न्यूनतम है।



अमीन



कनिष्ठ अभियन्ता



सहायक अभियन्ता

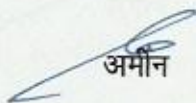


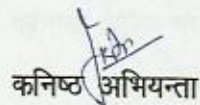
अधिशाली अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

सिविल/आरक्षित/वन पंचायत वन भूमि का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत चमोली-पलेठी-सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.92 हे० सिविल वनभूमि ली गई है, उसको मोटर मार्ग/मार्ग निर्माण के प्रयोजन हेतु संस्तुति की जाती है।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता

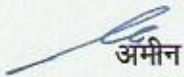

सहायक अभियन्ता

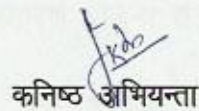

अधिशाली अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

परियोजना का नाम :- चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक टोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

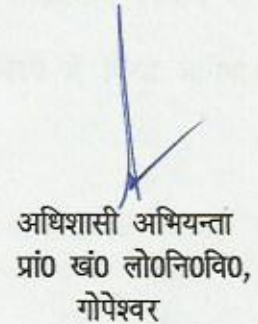
पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता हुई तो प्रयोक्ता एजेन्सी पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त कर प्रस्तुत की जायेगी।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिसासी अभियन्ता
प्रा० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

उत्पादित मलवे का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत चमोली-पलेठी-सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग मोटर मार्ग निर्माण हेतु जो भूमि ली जा रही है, मार्ग का निर्माण उससे कम चौड़ाई में किया जायेगा तथा मार्ग निर्माण से उत्पादित मलवे का निस्तारण हियर पिन बैण्ड, दीवार निर्माण एवं निर्माण कार्य में किया जायेगा। अवशेष मलवे की निस्तारण योजना संलग्न है।



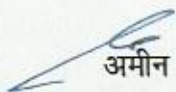
सहायक अभियन्ता



अधिसासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

परियोजना का नाम :- चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण करने हेतु आवश्यक धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा करा दी जायेगी।



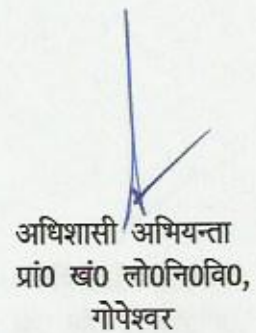
अमीन



कनिष्ठ अभियन्ता



सहायक अभियन्ता



अधिशाली अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

परियोजना का नाम:-

चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्तावित परियोजना में वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

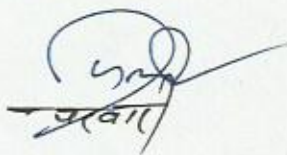
प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना में वृक्षों की सूची संलग्न है।

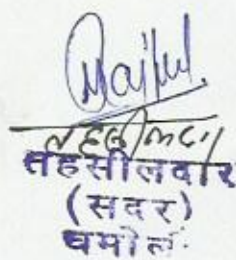

अमीन

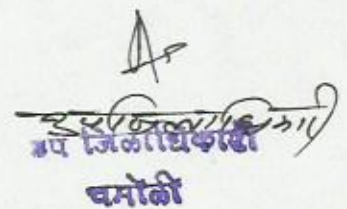

कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशाली अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर


ज. क. सिंह


तहसीलदार
(सदर)
चमोली


ज. क. सिंह
चमोली